



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2018/अग्रहायण 12, 1940

No. 462]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2018/AGRAHAYANA 12, 1940

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक

अधिसूचना

मंडी, 3 दिसम्बर, 2018

हि.प्र. ग्रा. बैं (सेवा संशोधन विनियम, 2018)

सं. एच पी जी वी/एच ओ/एच आर डी / 2018.— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 के साथ पठित धारा 17(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के निदेशक बोर्ड से पंजाब नैशनल बैंक जो प्रायोजक बैंक है, और राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जिसे (इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम-2 में खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-
'(डक) "पेंशन विनियम" से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 अभिप्रेत है;'
- मूल विनियम के विनियम, 71 में उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(3) यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पेंशन विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत पेंशन विनियम निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करता है और उक्त विकल्प का चयन करने के पश्चात् उक्त उप-विनियम के अनुसार बैंक की भविष्य निधि के न्यास के द्वारा उपाजित ब्याज सहित बैंक के संपूर्ण अंशदान को पेंशन विनियम के अंतर्गत गठित निधि को अंतरित करवाता है, पेंशन विनियम के द्वारा शासित होगा।
- (4) मृतक कर्मचारी का परिवार, जो पेंशन विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत पेंशन विनियम निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करता है और उक्त विकल्प का चयन करने के पश्चात् उक्त उप-विनियम के अनुसार राशि वापस करता है, पेंशन विनियम के द्वारा अभिशासित होगा।
- (5) इस विनियम के उप-विनियम (1) से (4) में किसी बात के होते हुए, यदि कोई कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2018 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा में आता है, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के द्वारा शासित होगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड(i) में परिभाषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है।”

उदय चन्द्र, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./385/18]

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग – III, खण्ड-4 में संख्यांक तारीख के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या , तारीख के द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK

NOTIFICATION

Mandi, the 3rd December, 2018

No. HPGB (SERVICE AMENDMENT REGULATIONS, 2018)

No. HPGB/HO/HRD/2018.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Regional Rural Banks, 1976 (21 of 1976) read with section 17(1) thereof the Board of Directors of *Himachal Pradesh Gramin Bank* after consultation with Punjab National Bank being the Sponsor Bank and the National Bank and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the *Himachal Pradesh Gramin Bank* (Officers and Employees) Service Regulations, 2018 namely:-

1. (1) These regulations may be called *Himachal Pradesh Gramin Bank* (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the *Himachal Pradesh Gramin Bank* (Officers and Employees) Service Regulations, 2018 (hereinafter referred to as principal regulations), in regulation 2, after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ma) “Pension Regulations” means the *Himachal Pradesh Gramin Bank* (Employees’) Pension Regulations, 2018;”.

3. In the principal regulations, in regulation 71, after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(3) An officer or employee exercising the option to become a member of the Pension Regulation Fund under sub-regulation (1) of regulation 3 of the Pension Regulations and after exercising the said option, refunding the amount by causing the trust of the Provident Fund of the Bank to transfer the entire contribution of the Bank along with the interest accrued thereon to the credit of the Fund constituted the Pension Regulations, in accordance with the said sub-regulation, shall be governed by the Pension Regulations.

(4) The family of the deceased employees exercising the option to become a member of the Pension Regulation Fund under sub-regulation (1) of regulation 3 of the Pension Regulations and after exercising the said option, refunding the amount in accordance with the said sub-regulation, shall be governed by the Pension Regulations.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (4) of this regulation, any employee who joins the service of the Bank on or after the 1st day of April, 2018, shall be governed by the National Pension System.

Explanation.— For the purpose of this sub-regulation, the National Pension System means the National Pension System as defined in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013).”

UDAY CHANDRA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./385/18]

Note: The principal notification was published vide number _____ dated the _____ in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 and subsequently amended vide notification number _____ dated the _____.

अधिसूचना

मंडी, 3 दिसम्बर, 2018

हि. प्र. ग्रा. बैं. (कर्मचारी पेंशन विनियम, 2018)

सं. एच पी जी बी/एच ओ/एच आर डी /2018.— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के निदेशक बोर्ड पंजाब नेशनल बैंक जो प्रायोजक बैंक है और नेशनल बैंक से परामर्श किए जाने के पश्चात् और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-

अध्याय I**प्रारंभ****1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 है।
 (2) इन विनियमों में जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) **"अधिनियम"** से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है;
 (ख) **"बीमांकक"** का वही अर्थ होगा जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खण्ड (1) में है;
 (ग) **"औसत उपलब्धि"** से किसी कर्मचारी द्वारा बैंक में अपनी सेवा के अंतिम 10 माह के दौरान लिए गए वेतन का औसत अभिप्रेत है;
 (घ) **"बैंक"** से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है;
 (ङ) **"बोर्ड"** से बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;
 (च) **"संतान"** से कर्मचारी की संतान अभिप्रेत है, जो यदि वह पुत्र है तो 25 वर्ष से कम आयु का है और यदि पुत्री है तो अविवाहित है और 25 वर्ष से कम आयु की है और बहुवचन में प्रयोग किए जाने पर इस संतान पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
 (छ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का वही अर्थ होगा जो उसका हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 में है;
 (ज) **"अंशदान"** से बैंक द्वारा कर्मचारी की ओर से निधि में जमा की गई राशि अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ब्याज के रूप में जमा की गई कोई राशि शामिल नहीं है;
 (झ) **"सेवानिवृत्ति की तारीख"** से उस माह की अंतिम तारीख अभिप्रेत है जिसमें कोई कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है या वह तारीख जिस दिन उसे बैंक द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है या वह तारीख जिस दिन कर्मचारी स्वैच्छा से सेवानिवृत्त होता है;
 (ञ) **"कर्मचारी"** से बैंक की सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह पूर्णकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर या अंशकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर वेतनमान में कार्यरत कर्मकार हो अथवा कोई अधिकारी जिन्होंने इन विनियमों के विकल्प का चयन किया हो तथा इनके द्वारा शासित हो, परंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है, जो संविदा आधार पर या दैनिक मजदूरी आधार पर या समेकित मजदूरी के आधार पर नियोजित हो;
 (ट) **"प्रवृत्त होने की तारीख"** से 1 अप्रैल, 2018 अभिप्रेत है;
 (ठ) **"पात्र कर्मचारी"** से इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र कोई कर्मचारी अभिप्रेत है;
 (ड) **"कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995"** से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के अंतर्गत तैयार की गई कर्मचारी पेंशन स्कीम अभिप्रेत है;

- (द) **"कुटुम्ब"** से किसी कर्मचारी के संबंध में अभिप्रेत है,-
- (i) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी और महिला कर्मचारी के मामले में पति (चाहे शादी सेवानिवृत्ति से पहले या उसके बाद हुई हो);
- (ii) न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी किन्तु यह पृथककरण जारकर्म के आधार पर मंजूर नहीं हुआ हो और उत्तरजीवि व्यक्ति जारकर्म का दोषी नहीं ठहराया गया हो;
- (iii) (क) अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री (जिनका जन्म सेवानिवृत्ति से पूर्व या पश्चात् हुआ हो, इनमें दत्तक संतान भी शामिल हैं) जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो;
- (ख) मानसिक विकृति अथवा असमर्थता या शारीरिक विकलांगता से ग्रसित अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री;
- (iv) विधवा पुत्री अथवा तलाकशुदा पुत्री (जिसका जन्म सेवानिवृत्ति से पूर्व या इसके पश्चात् हुआ हो) बिना किसी आयु सीमा के;
- (v) माता-पिता जो कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर थे, जब ऐसा कर्मचारी जीवित था निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीनः
- (क) मृतक कर्मचारी अपने पीछे न तो कोई विधवा या विधुर या पात्र पुत्र या पुत्री या विधवा या तलाकशुदा पुत्री छोड़ गया हो और यह कि माता-पिता की आय दो हजार पांच सौ पचास रुपए से कम हो।
- (ख) जहां मृतक कर्मचारी अपने पीछे संतानविहीन विधवा छोड़ गया हो तो वे संतानविहीन विधवा की मृत्यु या अन्य स्रोतों से उनकी स्वतंत्र आय प्रति दो हजार पांच सौ पचास रुपए या समतुल्य या अधिक हो इसके पश्चात् ही कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे;
- (ण) **"कुटुम्ब पेंशन"** से विनियम 37 में उल्लिखित कुटुम्ब पेंशन अभिप्रेत है;
- (त) **"वित्तीय वर्ष"** से 1 अप्रैल को आरंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;
- (थ) **"निधि"** से विनियम 4 के अंतर्गत गठित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि अभिप्रेत है;
- (द) **"राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली"** से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) में निर्धारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है;
- (ध) **"अधिसूचित तारीख"** से वह तारीख अभिप्रेत है जिस दिन इन विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है;
- (न) **"वेतन"** से मूल वेतन अभिप्रेत है जिसमें अवरूद्ध वेतन वृद्धि, यदि कोई हो और भविष्य निधि में अंशदान करने के प्रयोजन हेतु शामिल सभी भत्ते तथा महँगाई भत्ते का भुगतान भी शामिल है;
- (प) **"पेंशन"** से कुटुम्ब पेंशन सहित और अध्याय-V में निर्दिष्ट पेंशन की वर्ग अभिप्रेत है;
- (फ) **"पेंशन भोगी"** से इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारी अभिप्रेत है;
- (ब) **"अर्हक सेवा"** से नियमित आधार पर की गई सेवा अभिप्रेत है, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के प्रयोजन हेतु शामिल किया जाता है;
- (भ) **"सेवानिवृत्ति"** से बैंक सेवा से निवृत्त होना अभिप्रेत है,-
- (i) सेवा विनियम में निर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर;
- (ii) विनियम 28 में निहित उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर;
- (iii) विनियम 30 में निहित उपबंधों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व बैंक के द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति देने पर;
- (म) **"सेवा विनियम"** से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 अभिप्रेत है।
- (य) **"न्यास"** से विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत गठित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि अभिप्रेत है;
- (यक) **"न्यासी"** से विनियम 4 के अंतर्गत गठित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के न्यासी अभिप्रेत हैं;
- (यक) **"भविष्य निधि"** से बैंक की भविष्य निधि अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी पद और अभिव्यक्ति परंतु जिन्हें परिभाषित न किया गया हो और जिन्हें अधिनियम अथवा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 में परिभाषित किया गया हो, का अर्थ वही होगा, जैसा कि अधिनियम या हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जैसा भी मामला हो, में है।

अध्याय II

लागू होना और पात्रता

3. लागू होना – (1) ये विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू होंगे जो –

(क) 1 सितम्बर, 1987 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे किन्तु 31 मार्च, 2010 को या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे एवं जिन्होंने अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के लिए लिखित में विकल्प का प्रयोग किया है और एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर उनको प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत भविष्य निधि में बैंक के द्वारा किए गए अंशदान की संपूर्ण राशि तथा उसके द्वारा राशि प्राप्त होने की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज) को रिफंड की तिथि तक ऐसी अंतिम राशि के प्राप्त होने की तिथि से ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान किए बिना वापस कर दिया है; अथवा

(ख) 1 सितम्बर, 1987 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे, अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में बने रहेंगे और अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं तथा बैंक के संपूर्ण अंशदान को उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ विनियम 4 के अंतर्गत गठित निधि में जमा करा दें; अथवा

(ग) 1 सितम्बर, 1987 तथा 31 मार्च, 2010 के बीच बैंक की सेवा में थे और प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात् सेवा में रहे किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए; यदि वह अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के लिए विकल्प का प्रयोग करते हैं और एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिनों के भीतर उनको प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत भविष्य निधि में बैंक के द्वारा किए गए अंशदान की संपूर्ण राशि तथा उनके द्वारा राशि प्राप्त होने की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) को वापस लौटाने की तिथि तक ऐसी अंतिम राशि के प्राप्त होने की तिथि से ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान किए बगैर वापस कर दिया है:

परन्तु यह कि कर्मचारी का परिवार जो –

(i) 1 सितम्बर, 1987 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे किन्तु 31 मार्च, 2010 को या उसके पूर्व जिनकी मृत्यु हो गई; या

(ii) 1 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च, 2010 के बीच पद ग्रहण करते हैं और प्रभावी तिथि से पूर्व मृत्यु हो गयी; या

(iii) 1 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च, 2010 के बीच बैंक की पद ग्रहण करते हैं और प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात् सेवा में बने रहते हैं किन्तु निधि का सदस्य बनने के लिए लिखित में विकल्प दिए बिना ही कर्मचारी की अधिसूचित तारीख के पश्चात् एक सौ बीस दिनों के पूर्व मृत्यु हो गई हो,

इन विनियमों के अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे, यदि दिवंगत कर्मचारी का कुटुम्ब कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से एक सौ बीस दिन या अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति, जो भी बाद में हो, के भीतर निधि का सदस्य बनने के लिए लिखित में विकल्प का प्रयोग करते हैं और एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिनों के भीतर कुटुम्ब को प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि तथा परिवार द्वारा राशि प्राप्त होने की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित) को वापस करने की तिथि तक ऐसी अंतिम राशि के प्राप्त होने की तिथि से ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान किए बिना वापस कर दिया है।

(2) कोई कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारी का कुटुम्ब उप-विनियम (1) के अंतर्गत विकल्प का चयन नहीं करता है या जो विकल्प का चयन करने के पश्चात् राशि वापस नहीं लौटाता है, तो उसे निधि का सदस्य बनने के संबंध में अनिच्छुक माना जाएगा और वह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत शासित होगा।

(3) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी, जो एक अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में आता है, के पास या तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प का चयन करने अथवा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत शासित होने (बने रहने) का विकल्प होगा।

(4) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में आता है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर होगा।

अध्याय III

निधि

4. निधि का गठन –

- (1) बैंक अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगा।
- (2) निधि का एक मात्र प्रयोजन होगा कर्मचारी या उसके कुटुम्ब को इन विनियमों के अनुसार पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के संदाय का उपबंध करना।
- (3) बैंक निधि का एक अंशदाता होगा और वह सुनिश्चित करेगा कि निधि में पर्याप्त धनराशि रहे ताकि न्यासी इन विनियमों के अधीन हिताधिकारियों को शोधय संदाय कर सकें।

5. बैंक का दायित्व –

- (1) (क) विनियम 4 के अंतर्गत निधि के गठन के पश्चात् बैंक विनियम 3 के अंतर्गत निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करने वाले पात्र कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन के लिए बैंक के अंशदान की संचित शेष राशि, ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि में अंतरित करेगा।
- (ख) अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि के गठन के पश्चात् बैंक विनियम 3 के अंतर्गत निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करने वाले पात्र कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के अंशदान की संचित रकम, ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित अंतरित करेगा।
- (2) विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत निधि के लिए विकल्प चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी या दिवंगत कर्मचारी का कुटुम्ब कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अधीन पेंशन घटक की राशि प्राप्त करता रहेगा और इन विनियमों के अंतर्गत देय पेंशन की शेष राशि निधि में से दी जाएगी।

6. निधि की संरचना –

निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

- (क) निधि की आस्तियों एवं देयताओं के बीच के आरंभिक अंतराल के वीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक द्वारा अंशदान;
- (ख) कर्मचारी के वेतन पर दस प्रतिशत प्रति मास की दर से बैंक द्वारा अंशदान।
- (ग) पात्र सेवारत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन और भविष्य निधि के लिए बैंक द्वारा जमा अंशदान और निधि के अंतरण की तिथि तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज।
- (घ) पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत बैंक के भविष्य निधि अंशदान सहित वापस की गई राशि।
- (ङ.) निधि के धन से क्रय की गई वार्षिकी या प्रतिभूतियों में किया गया निवेश और उस पर ब्याज।
- (च) निधि की पूंजी आस्तियों से उद्भूत किसी पूंजी अभिलाभ की रकम।
- (छ) विनियम 10 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा किया अतिरिक्त वार्षिक अंशदान।
- (ज) निधि में जमा की गई रकमों के निवेश से हुई आय।
- (झ) पात्र दिवंगत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत वापस किए गए बैंक के भविष्य निधि अंशदान की रकम और उस पर ब्याज।

7. न्यासी बोर्ड –

- (1) कार्यो का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन तथा निधि की व्यवस्था बोर्ड के न्यासियों में निहित होगी, जो इन विनियमों के अधीन पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उसके लिए आवश्यक सभी कार्य करेंगे।

- (2) न्यासी बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त इतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिसकी संस्था बैंक अवधारित करेगा किन्तु जिनकी संस्था तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होगी।
- (3) न्यासियों की नियुक्ति का अधिकार बैंक में निहित होगा और ऐसी सभी नियुक्तियां लिखित रूप में की जाएंगी।
- (4) बैंक एक न्यासी को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा।
- (5) न्यासी का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और बैंक इस न्यासी की पुनर्नियुक्ति कर सकता है जिसने पूर्व में अपना कार्यकाल पूरा किया है।

बशर्ते किसी न्यासी की नियुक्ति दो बार से अधिक नहीं होगी।

8. न्यासियों द्वारा बोर्ड के निदेशों का पालन किया जाना -

नियम 7 के अंतर्गत अपनी शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन करते हुए न्यासी बोर्ड, बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे दिए गए निदेशों के अनुसार दिशानिर्देशित होगा:

परंतु यह कि ऐसे सभी निदेश लिखित रूप से दिए जाएंगे और तत्संबंधी प्रयोजन एवं उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करेंगे।

9. निधि की लेखा बहियां -

- (1) निधि के लेखाओं में निधि से संबंधित सभी वित्तीय संव्यवहारों की विशिष्टियां ऐसे प्रारूप में अंतर्विष्ट होंगी जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (2) बैंक के तुलन पत्र को उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिनों के भीतर न्यास, न्यास की आस्तियों और दायित्वों का सामान्य लेखा दर्शाते हुए अपनी वित्तीय विवरणी तैयार करेगा और उसकी एक प्रति बैंक को अग्रेषित करेगा।
- (3) अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार निधि के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी।

10. निधि का बीमांकिक अन्वेषण -

बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति का किसी बीमांकन द्वारा अन्वेषण कराएगा और निधि में ऐसा अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा जो इन विनियमों के अधीन लाभों का संदाय सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हों:

परंतु यह कि बैंक जिस वित्तीय वर्ष में निधि का गठन किया गया है उसके ठीक पश्चात् 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी बीमांकक से अन्वेषण कराएगा।

11. निधि का निवेश -

निधि में अंशदान की गई या प्राप्त या ब्याज के रूप में अधिसूचित तारीख के पश्चात् प्रोद्भूत संपूर्ण राशि भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत खाते में जमा की जा सकेगी या इन विनियमों के अनुसार पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने के लिए उपयोग में लायी जा सकेगी और ऐसी वह राशि जिसको जमा या उपयोग नहीं किया गया है, उसका सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण लिखतों, अल्पावधि ऋण लिखतों, इक्विटी और संबंधित निवेशों, आस्ति समर्थित न्यास संरचनाओं और प्रकीर्ण (विविध) निवेशों में निवेश की जाएगी।

12. निधि से भुगतान -

न्यास इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन बैंक के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों या बैंक के पात्र दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को कुटुम्ब पेंशन के पेंशनरी फायदों की स्वीकृति के लिए कार्य करेगा।

अध्याय IV

पेंशन के लिए अर्हक सेवा

13. पेंशन के लिए अर्हक सेवा -

इन विनियमों में अंतर्विष्ट अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसा कर्मचारी जिसने बैंक में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है, पेंशन के लिए अर्हित होगा।

14. अर्हक सेवा का आरंभ –

इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी, जिस तारीख को वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर वह पहली बार स्थायी आधार पर नियुक्त हुआ है और परिवीक्षा के दौरान की गयी सेवा का गणना अर्हक सेवा के रूप में होगी यदि परिवीक्षा के पश्चात् उसी पद पर उसकी प्रतिपुष्टि हो जाती है।

15. छुट्टी पर व्यतीत अवधि की गणना –

बैंक की सेवा में ऐसी सभी छुट्टियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है।

परंतु वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में नहीं गिनी जाएगी सिवाय तब के जब मंजूरी प्राधिकारी ने निदेश दिया हो कि ऐसी छुट्टी, संपूर्ण सेवावधि के दौरान बारह महीनों से अनधिक, पेंशन सिहत सभी प्रयोजनों के लिए सेवा के रूप में गिनी जाए।

16. एक वर्ष से कम की सेवा का खंडित सेवाकाल –

यदि किसी कर्मचारी की सेवा में एक वर्ष से कम का खंडित सेवाकाल सम्मिलित है तो यदि यह खंडितकाल छः महीनों से अधिक है तो उसे एक वर्ष माना जाएगा और यदि ऐसा खंडितकाल छः महीने या कम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा।

परंतु यह कि इस विनियम के उपबंध पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक सेवा के निर्धारण के लिए लागू नहीं होंगे।

17. प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना –

किसी कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति से ठीक बाद बैंक में प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

18. किसी पूर्व बैंक के साथ की गयी भूतकालिक सेवा की गणना –

कर्मचारी द्वारा किसी अन्य बैंक में नियमित आधार पर की गई सेवा उस बैंक के वर्तमान बैंक के साथ सामेलन होने पर भी अर्हक सेवा लिए गणना की जाएगी:

परंतु यह कि संविदा के आधार पर या दैनिक मजदूरी के आधार पर या समेकित मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी पर यह विनियम लागू नहीं होगा।

19. निलंबन की अवधि –

(1) जांच लंबित रहने के दौरान किसी कर्मचारी की निलंबन अवधि की गणना अर्हक सेवा के लिए की जाएगी जहां ऐसी जांच पूरी हो जाने के पश्चात् उसे पूरी तरह से नियुक्त कर दिया गया है या निलंबन को पूर्णतया युक्तिसंगत नहीं पाया गया है।

(2) अन्य सभी मामलों में निलंबन की अवधि को तब तक अर्हक सेवा नहीं गिना जाएगा जब तक कि ऐसे मामलों को अभिशासित करने वाले सेवा विनियमों के अधीन आदेश पारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना उस विस्तार तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।

20. सेवाकाल का समपहरण –

(1) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अलावा किसी कर्मचारी के बैंक की सेवा से त्यागपत्र देने या उसके पदच्युत किए जाने या हटाए जाने या सेवा समाप्ति पर उसकी संपूर्ण पिछली सेवा समपहृत हो जाएगी और परिणामस्वरूप इन विनियमों के अधीन पेंशनिक फायदों के लिए अर्हक सेवा नहीं होगी।

(2) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी बैंक कर्मचारी की सेवा में व्यवधान उसकी पूर्व सेवा को अपरिहार्य रूप से समपहृत कर देता, नामतः

(क) प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी,

(ख) निलंबन, जहां उसका तुरंत यथापूर्वकरण चाहे उसी पद पर हो या किसी भिन्न पद पर या जहां बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है या उसे सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई है या निलंबन के दौरान सेवा विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

21. हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा में व्यवधान –

हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारी की सेवा में हुए व्यवधान को तब तक पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यवधान की अवधि को माफ न कर दे।

परंतु यह कि हड़ताल में उसकी भागीदारी के कारण सेवा में ऐसे व्यवधान के संबंध में बैंक कर्मचारी के सेवा रिकार्ड में प्रविष्टि करने से पूर्व कर्मचारी को अभ्यावेदन करने का एक अवसर दिया जा सकता है।

22. सेना में सेवा –

ऐसा कर्मचारी जिसने बैंक में नियुक्त से पहले सेना में सेवा की है सैनिक पेंशन, यदि कोई हो, प्राप्त करता रहेगा किंतु सेना में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की गणना पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

23. भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि –

भारत में किसी अन्य संगठन में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी, परंतु यह तब जबकि ऐसा संगठन जिसमें वह प्रतिनियुक्त है या कर्मचारी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर या प्रतिनियुक्ति के समय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, पेंशन संबंधी अंशदान का बैंक को संदाय करें।

24. विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में परिवर्तन –

कोई भी कर्मचारी विनियम 26 में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हित करने वाले अपने सेवा काल में अपनी सेवा की एक चौथाई से अनधिक या उतनी वास्तविक अवधि जितनी से, भर्ती के समय सीधी भर्ती हेतु बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से उसकी आयु अधिक थी या पांच वर्ष की अवधि की, इनमें से जो भी कम हो, वृद्धि करने का पात्र होगा किन्तु यह तब तक जबकि वह सेवा या पद, जिस पर कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से एक है –

(क) जिसके लिए कि स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेषज्ञ अर्हताएं या वैज्ञानिक प्रौद्योगिक या वृत्तिक क्षेत्रों में अनुभव आवश्यक है;

(ख) जिस पर सीधी भर्ती हेतु सामान्यतया विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से अधिक के अभ्यर्थी भर्ती किए जाते हैं; और

(ग) जिसके लिए अभ्यर्थी को उसके पास उच्चतर अर्हताएं और अनुभव होने के कारण बैंक द्वारा नियत अधिकतम आयु सीमा से ऊपर छूट दी गई हो।

परंतु यह रियायत किसी कर्मचारी को तभी अनुदेय होगी जबकि बैंक की सेवा छोड़ने के समय उसकी वास्तविक अर्हक सेवा कम से कम दस वर्ष की हो।

25. स्थाई अंशकालिक आधार पर की गई सेवा की गणना –

(1) उन कर्मचारियों के मामले में जो उस पर लागू नियुक्ति के अन्य नियमों के अनुसार बैंक में स्थाई अंशकालिक आधार पर सेवारत था और कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था, उसके द्वारा ऐसे अंशदान की तिथि से स्थाई अंशकालिक आधार पर उसके द्वारा की गई सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

(2) स्थाई अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की राशि की गणना के प्रयोजनार्थ अर्हक सेवा की अवधि फार्म IV के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(3) इस विनियम के अधीन पेंशन की राशि की गणना के प्रयोजनार्थ की गई वास्तविक सेवा को अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामलों में सेवानिवृत्त के समय पर आहरित किए गए वास्तविक वेतन को औसत पारिश्रमिक के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

अध्याय V

पेंशन के वर्ग

26. अधिवर्षिता पेंशन –

अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ है।

27. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन –

(1) प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात् कर्मचारी के बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा:

परंतु यह भी कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो ऐसे किसी स्वशासी निकाय या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय में, चाहे वह निगतिम हो या नहीं, में स्थाई रूप से आमेलित होने के लिए सेवानिवृत्ति मांगते समय प्रतिनियुक्ति पर है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी:

परंतु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्त के लिए अनुज्ञा देने से इंकार नहीं करता है तो सेवानिवृत्त उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

(3) (क) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को यह कारण बताते हुए लिखित अनुरोध कर सकेगा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तीन मास से कम की सूचना स्वीकार कर ली जाए।

(ख) खण्ड (क) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी गुणावगुण के आधार पर सूचना की तीन महीने की अवधि में कमी करने के अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि सूचना की अवधि में कमी करने से कोई प्रशासनिक असुविधा पैदा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पर तीन महीने की सूचना संबंधी अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा कि कर्मचारी सूचना के तीन महीने समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।

(4) ऐसे कर्मचारी को, जिसने इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का निर्वाध किया है और इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक सूचना दी है, ऐसे अधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना वापस नहीं ले सकेगा।

परंतु यह कि सूचना वापस लेने के लिए अनुरोध सेवानिवृत्त की आशायित तारीख से पहले किया जाएगा।

(5) इस विनियम के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी कि उस कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और इससे यह अधिवर्षिता की तारीख से आगे नहीं जाएगी।

परंतु यह कि बढ़ाई गई अर्हक सेवा से वह अपनी पेंशन की संगणना के उद्देश्य से वेतन का कोई काल्पनिक नियतन का हकदार नहीं होगा।

28. अशक्त पेंशन -

(1) ऐसे कर्मचारी को अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकेगी,-

(क) जिसने न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जो प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात जो किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के कारण सेवानिवृत्त हुआ है जिसने उसे सेवा के लिए स्थाई रूप से असमर्थ बना दिया है।

(2) अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाला कर्मचारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया असमर्थता संबंधी डाक्टरों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी को उस पद से जिस पर वह कार्य कर रहा था, कम परिश्रम वाले कार्य पर आगे सेवा हेतु स्वस्थ घोषित कर देता है तो यदि वह कार्य करना चाहता हो तो, उसे निम्नतर पद पर सेवा में रखा जा सकता है और यदि वह निम्नतर पद पर रखने का कोई साधन नहीं है तो उसे अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकती है।

(4) सेवा हेतु अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदक इस आशय का पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि सक्षम प्राधिकारी को इस बात की जानकारी है कि आवेदक बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहता है।

(5) सक्षम प्राधिकारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी को जिस बैंक में आवेदक नियोजित है उसके अभिलेख से प्रकट होने वाली आवेदक की आयु की जानकारी देगा।

29. अनुकंपा भत्ता -

(1) ऐसे कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा समाप्त की जाती है, पेंशन समयहृत हो जाएगी:

परंतु पदच्युत करने या सेवा से हटाने या सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी, यदि-

(i) ऐसी पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या सेवा समाप्ति प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात की गई है, और

(ii) मामला विशेष रूप से विचार किए जाने के योग्य है,

तो, ऐसी पेंशन की दो तिहाई से अनधिक अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकेगा, जो उसकी पदच्युति, सेवा से हटाए जाने या सेवा समाप्त करने की तारीख तक की गई सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती।

(2) उप-विनियम (1) के परंतुक के अधीन स्वीकृत अनुकंपा भत्ता विनियम 34 के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा।

30. समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन –

समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाएगी जो,

(क) न्यूनतम दस वर्ष की सेवा कर चुका हो; और

(ख) लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्त होने के बैंक के आदेश के कारण या लिखित में दर्ज किए गए किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्त होता है, और जो अन्यथा अधिवर्षिता की उस तारीख पर पेंशन के लिए पात्र होता।

31. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन –

प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात अनुशासन एवं अपील विनियमन या समझौते के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति दिए जाने पर सेवा से शास्ति के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को उस दर से पेंशन दी जा सकती है जो उसे देय पेंशन के दो तिहाई से कम न हो और उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकृत उस पूरी पेंशन से अधिक न हो, यदि वह अन्यथा अधिवर्षिता की तारीख को ऐसी पेंशन का पात्र होता।

परंतु यह कि इस विनियम के अंतर्गत प्रदान की गई पेंशन इन विनियमों के अधीन देय पूर्ण पेंशन से कम है तो ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व निदेशक मण्डल से परामर्श लिया जाएगा।

32. कुछ कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या कुटुम्ब पेंशन का भुगतान –

(1) कोई कर्मचारी जो 1 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च, 2010 के बीच सेवा में था और 31 मार्च, 2018 से पूर्व बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन प्रभावी तिथि से पेंशन के भुगतान के लिए पात्र होगा।

(2) दिवंगत कर्मचारी, जो 1 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च 2010 के बीच सेवा में था और जिसकी 31 मार्च 2018 से पूर्व मृत्यु हो गई है, का परिवार इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन प्रभावी तिथि से कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे।

अध्याय VI

पेंशन की दर

33. पेंशन की रकम:-

(1) 1 सितम्बर, 1987 से 31 अक्टूबर 1987 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन, जहां भी लागू हो, को परिशिष्ट 1 में दिए गए सूत्र के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

(2) तैंतीस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवा विनियमों या समझौते के उपबंधों के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में मूल पेंशन की रकम की संगणना औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर की जाएगी।

(3) (क) उप विनियम(I) के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन, कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के अंकतम दस मास के दौरान प्राप्त किए गए भत्तों की राशि की पचास प्रतिशत होगी,

(ख) अतिरिक्त पेंशन की रकम पर कोई मंहगाई राहत नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण:- इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए भत्तों से वे भत्ते अभिप्रेत हैं जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए जिस विस्तार तक गणना की जाती है उस तक अनुज्ञेय है।

(4) विनियम 34 में निर्दिष्ट है कि परिकल्पित पेंशन और अतिरिक्त पेंशन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन के अधीन रहते हुए होगी।

(5) ऐसे कर्मचारी को जिसने इन विनियमों के विनियम 39 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन के अनुज्ञेय भाग का संराशीकरण करवाया है, प्रत्येक मास पेंशन का केवल अतिशेष ही प्राप्त होगा।

(6) (क) तैंतीस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले किंतु दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में पेंशन की रकम उप विनियम (2) और (3) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन अतिरिक्त और पेंशन की रकम के अनुपात में होगी और किसी भी दशा में पेंशन की रकम इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

(ख) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अशक्त पेंशन की रकम, कुटुम्ब पेंशन की उस सामान्य दर से कम नहीं होगी, जो सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके कुटुम्ब को संदेय होती।

(7) इस विनियम के अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेंशन की रकम पूर्ण रूप में व्यक्त की जाएगी और यदि पेंशन में रूप का कोई भाग हो तो इसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।

34. न्यूनतम पेंशन:-

न्यूनतम पेंशन की रकम इस प्रकार होगी –

(क) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी के संदर्भ में 375 रुपये प्रतिमाह; जहां कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 (अधिकारियों से भिन्न कर्मचारियों के मामले में) अथवा 1 जुलाई, 1993 (अधिकारियों के मामले में) से पहले तथा 1 नवम्बर, 1992 से पहले सेवानिवृत्त होने वाला स्थायी अंशकालिक कर्मचारी उसकी अनुपातिक राशि प्राप्त करेगा;

(ख) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में 720 रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 को अथवा उसके बाद (अधिकारियों से इतर कर्मचारियों के मामले में) अथवा 1 जुलाई, 1993 को अथवा उसके बाद (अधिकारियों के मामले में) सेवानिवृत्त हुआ हो और 1 नवम्बर, 1992 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले स्थायी अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में उसकी अनुपातिक राशि दी जायेगी;

(ग) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में, जो 1 अप्रैल, 1998 को अथवा इसके बाद परन्तु 31 अक्टूबर, 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुआ हो को 1060 रुपये प्रतिमाह और 355 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का एक तिहाई प्राप्त कर चुका हो, 530 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का आधा प्राप्त कर चुका हो, 795 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का तीन चौथाई प्राप्त कर चुका हो, जहां कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो;

(घ) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में 1435 रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी, 2002 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो और 480 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी के संदर्भ में जो वेतन का एक तिहाई प्राप्त कर चुका हो, 720 प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का आधा प्राप्त कर चुका हो और 1080 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का तीन चौथाई प्राप्त कर चुका हो, जहां कर्मचारी 1 मई, 2005 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो;

(ङ.) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में 1779 रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी 1 नवम्बर, 2007 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो और 595 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का एक तिहाई प्राप्त कर चुका हो, 892 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी के मामले में जो वेतन का आधा प्राप्त कर चुका हो और 1339 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का तीन चौथाई प्राप्त कर चुका हो, जहां कर्मचारी 1 नवम्बर, 2007 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो;

(च) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी की दशा में 2785 रुपये प्रतिमाह, जहां कर्मचारी, 1 नवम्बर, 2012 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो और 932 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का एक तिहाई प्राप्त कर चुका हो, 1397 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का आधा प्राप्त कर चुका हो और 2096 रुपये प्रतिमाह उस कर्मचारी को जो वेतन का तीन चौथाई प्राप्त कर चुका हो, जहां कर्मचारी 1 नवम्बर, 2012 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो;

35. मंहगाई राहत:-

(1) मूल पेंशन या कुटुम्ब पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता पर मंहगाई राहत परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मंजूर की जाएगी।

(2) मंहगाई राहत, संराशीकरण के पश्चात भी, पूर्ण मूल पेंशन पर अनुज्ञात की जाएगी।

36. औसत उपलब्धियों के लिए दस मास की अवधि का अवधारणा:-

- (1) औसत उपलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से की जाएगी।
- (2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समय पूर्व के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ है या बैंक द्वारा समय पूर्व लोकहित में अथवा लिखित में रिकॉर्ड किए जाने योग्य कारणों से उसे सेवानिवृत्त किया गया है।
- (3) पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस माह की अवधि की गणना बैंक से कर्मचारी की पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति की तारीख की जाएगी।
- (4) यदि सेवा के अंतिम दस माह के दौरान कर्मचारी बिना वेतन असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है या निलंबित रहा है और उस अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं की गई है तो औसत परिलब्धियों की गणना करते समय असाधारण छुट्टी या निलंबन की उक्त अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा और उस मास से पहले की उतनी की अवधि उसमें सम्मिलित कर ली जाएगी।

बध्दयाय VII**कुटुम्ब पेंशन****37. कुटुम्ब पेंशन:-**

- (1) विनियम 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों के होने पर, जहां यदि कर्मचारी की मृत्यु -

(क) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने के पश्चात होती है, या

(ख) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले होती है, परंतु संबंधित कर्मचारी की सेवा में या पद पर नियुक्ति होने से ठीक पहले बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई थी और उस बैंक में नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था, या

(ग) वह सेवानिवृत्ति के पश्चात और मृत्यु की तारीख को पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा था,

तो मृत कर्मचारी का कुटुम्ब, कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा, उक्त रकम का निर्धारण प्ररूप III के अनुसार किया जाएगा।

परन्तु उस कर्मचारी के संदर्भ में, जो बैंक की सेवा में 1 सितम्बर, 1987 को अथवा उसके बाद आया हो और उसकी मृत्यु सेवाकाल में 31 अक्टूबर, 1987 को अथवा उससे पहले हुई हो अथवा वह 31 अक्टूबर, 1987 को अथवा उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ हो परन्तु मृत्यु बाद में हुई हो, तो मृत कर्मचारी का कुटुम्ब जो इन विनियमों के अधीन निधि का सदस्य बनने का विकल्प देगा और विनियम 3 के अनुसरण में राशि की वापसी इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगी, अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होगा, जिसकी राशि प्ररूप V के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

- (2) पेंशन की रकम मासिक दरों पर नियत की जाएगी और पूर्ण रूप में व्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में रूपए का कोई भाग है, तो इसे अगले उच्चतर रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा,

परन्तु किसी भी दशा में पेंशन इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम पेंशन से अधिक नहीं होगी।

- (3) (क) जहां किसी कर्मचारी जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) से शासित नहीं होता है,

(i) कम से कम सात वर्ष की निरंतर सेवा करने के पश्चात सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के दुगुने के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी और इस प्रकार अनुज्ञेय रकम कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद से सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को मृत कर्मचारी यदि वह जीवित रहा होता तो पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी।

(ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, इस उप-विनियम के उप-खंड (i) के अधीन यथा अवधारित कुटुम्ब पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख के सात वर्ष के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी, यदि वह जीवित रहा होता तो पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी।

परन्तु किसी भी मामले में उप-खंड-(i) और (ii) के अधीन निर्धारित कुटुम्ब पेंशन की राशि बैंक से उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हुई पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(ख) जहां किसी कर्मचारी, जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923(1923 का 8) से अभिशासित होता है, सात वर्ष से अन्यून की निरंतर सेवा करने के पश्चात सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञात कुटुम्ब पेंशन के डेढ़ गुने, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी और यथा अनुज्ञेय पेंशन सात वर्षों अथवा मृत कर्मचारी के जीवित होने की दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी कम हो, संदेय की जाएगी।

(ग) खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पश्चात वह कुटुम्ब जिसे इन खण्डों के अधीन कुटुम्ब पेंशन मिल रही है, उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय दर पर कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा।

38 कुटुम्ब पेंशन का संदाय :-

(1) जिस अवधि के लिए कुटुम्ब पेंशन संदेय होगा, वह अवधि होगी,

(क) संतानहीन विधवा के मामले में जीवन पर्यन्त अथवा सभी स्रोतों से उसकी स्वतंत्र आय 2550 रुपये अथवा इससे अधिक होने तक;

(ख) बच्चों सहित किसी विधवा या विधुर के मामले में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक या जो भी पहले हो,

(ग) पुत्र अथवा पुत्री (विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री सहित) के मामले में, जब तक वह पुत्र अथवा पुत्री 25 वर्ष का न हो जाए अथवा जब तक उसका विवाह नहीं जाता अथवा पुत्री का पुनर्विवाह नहीं हो जाता, जो भी पहले हो:

परन्तु उस पुत्र अथवा पुत्री को (विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री सहित) दिया जाने वाला कुटुम्ब पेंशन बंद कर दिया जायेगा अथवा स्वीकार्य नहीं होगा जब पात्र पुत्र अथवा पुत्री किसी भी स्रोत से प्रतिमाह 2550 रुपये से अधिक अर्जित करने लगेगा:

परन्तु अविवाहित, विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो 25 वर्ष की उम्र के बाद भी विवाहित अथवा पुनर्विवाहित नहीं है, कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होगी यदि कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य नहीं है अथवा उसकी किसी भी स्रोत से आय 2550 रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो:

(घ) यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री जो किसी मानसिक विकृति या अशक्तता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग है, तो वह 25 वर्ष की आयु होने के बाद भी जीविकोपार्जन में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुम्ब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन आजीवन संदेय होगी शर्तों के अधीन कोई अन्य पात्र पारिवारिक सदस्य नहीं है :

परन्तु यह कि -

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या अधिक जीवित संतान में से एक है तो आरंभ में कुटुम्ब पेंशन का संदाय उप विनियम (3) में निर्धारित क्रम में अवयस्क संतानों को किया जाएगा जब तक कि अंतिम अवयस्क संतान 25 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता और तत्पश्चात कुटुम्ब पेंशन, मानसिक रूप से विकृत या अशक्तता से ग्रस्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः प्रारंभ की जाएगी और उसे आजीवन संदेय होगी,

(ii) यदि मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त एक से अधिक संतानें हैं तो उनकी जन्म की तारीख के क्रम में पेंशन का संदाय किया जाएगा और उनमें से कनिष्ठ संतान को कुटुम्ब पेंशन तभी मिलेगी जब उससे ठीक ज्येष्ठ संतान की पात्रता समाप्त हो जाती है और यदि जहां कुटुम्ब पेंशन ऐसी जुड़वाँ संतान को संदेय है, वहां इसका संदाय उप विनियम (4) में दी गई रीति से किया जाएगा।

(iii) उस दशा के सिवाय जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग पुत्र या पुत्री वयस्क है, ऐसे पुत्र या पुत्री को संरक्षक के माध्यम से कुटुम्ब पेंशन का संदाय किया जाएगा मानो वह अवयस्क हो।

(iv) ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने से पहले सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान कर लेगा कि विकलांगता की प्रकृति ऐसी है कि वह जीविका उपार्जित करने में असमर्थ है और इसके लिए बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र साक्ष्य होगा, जिसमें संतान की सही शारीरिक या मानसिक स्थिति, यथासंभव, बताई गई होगी।

(v) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या बिना संरक्षक के माध्यम के कुटुम्ब पेंशन लेने वाला पुत्र या पुत्री प्रत्येक तीसरे वर्ष बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अब भी मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त है या अब भी शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त है।

(vi) ऐसा पुत्र या पुत्री अपनी 2550 रुपए की जीविका उपार्जित करने लग जाता जाती है तो ऐसे मामलों में संरक्षक या पुत्र या पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मास बैंक को यह प्रमाण-पत्र दे कि उसने जीविकोपार्जन करना आरंभ नहीं किया है अथवा पुत्री की दशा में उसका अभी विवाह नहीं हुआ है।

(ड.) माता पिता के मामले में कुटुम्ब पेंशन बंद कर दी जायेगी अथवा अस्वीकार्य होगी यदि दोनों में से किसी एक की आय अथवा दोनों की आय किसी भी स्रोत से 2550 रुपये प्रतिमाह से अधिक होती है:

परन्तु कुटुम्ब पेंशन पहले माता को दी जायेगी और उसकी मृत्यु के बाद पिता को दी जाएगी।

(2) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी अपनी विधवा या विधुर को छोड़ जाता है तो कुटुम्ब पेंशन विधवा या विधुर को संदेय होगी और उनके न होने पर पात्र संतान को देय होगी या ऐसा न होने पर पात्र माता-पिता को देय होगी।

(3) संतान को कुटुम्ब पेंशन उनके जन्म की तारीख के क्रम में संदेय होगी और कनिष्ठतर संतान तब तक कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे ज्येष्ठतर संतान कुटुम्ब पेंशन पाने के लिए अपात्र नहीं हो जाती है।

(4) जहां कुटुम्ब पेंशन का संदाय जुड़वां संतान को किया जाना है वहां ऐसी संतानों को उसका संदाय समान भागों में किया जाएगा।

परंतु यह कि जहां ऐसा कोई बच्चा पात्र नहीं होता है उसका हिस्सा दूसरे बच्चे को चला जाएगा और जहां दोनों ही बच्चे पात्र नहीं हैं, जैसा भी मामला हो कुटुम्ब पेंशन अगले पात्र एकल अथवा जुड़वां बच्चों को चला जाएगा।

(5) जहां कुटुम्ब पेंशन इस विनियम के अधीन अवयस्क को मंजूर की जाती है वहां अवयस्क के विभिन्न संरक्षक को संदेय होगी।

(6) उस दशा में जब पति और पत्नी दोनों बैंक के कर्मचारी हैं और इस विनियम के उपबंधों द्वारा शासित हैं और उनमें से एक की मृत्यु सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के पश्चात हो जाती है तो मृत कर्मचारी की बावत कुटुम्ब पेंशन, यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय होगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर मृत माता पिता के संबंध में उत्तरजीवी संतान या संतानों को दो कुटुम्ब पेंशनों की मंजूरी नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए की जाएगी, अर्थात्:

(क) यदि उत्तरजीवी संतान या संताने विनियम 37 के उप विनियम (3) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उप खण्ड (I) में उल्लिखित दरों पर दो कुटुम्ब पेंशनों को पाने के पात्र हैं, दोनों पेंशन की राशि निम्न प्रकार सीमित की जायेगी -

(i) उस कर्मचारी के संदर्भ में 2500 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 1992 से पहले या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ii) उस कर्मचारी के संदर्भ में 4800 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 1992 के बाद (अधिकारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में) अथवा 1 जुलाई, 1993 को या इसके बाद (अधिकारी के मामले में) या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iii) उस कर्मचारी के संदर्भ में 6756 रुपये प्रतिमाह, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iv) उस कर्मचारी के संदर्भ में 9565 रुपये प्रतिमाह, जो 1 मई, 2005 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(v) उस कर्मचारी के संदर्भ में 11856 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 2007 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ख) यदि इनमें से कोई कुटुम्ब पेंशन विनियम 37 के उप-विनियम (3) के खण्ड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित दरों पर देय न हो, तो इसके बदले विनियम (37) के उप-विनियम (1) में उल्लिखित दर पर कुटुम्ब पेंशन देय होगी, दोनों पेंशन की राशि निम्न प्रकार सीमित की जायेगी-

(i) उस कर्मचारी के संदर्भ में 2500 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 1992 (अधिकारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में) से पहले अथवा 1 जुलाई, 1993 (अधिकारी के मामले में) से पहले या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ii) उस कर्मचारी के संदर्भ में 4800 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 1992 के बाद (अधिकारी से इत्तर कर्मचारी के मामले में) अथवा 1 जुलाई, 1993 को या इसके बाद (अधिकारी के मामले में) या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iii) उस कर्मचारी के संदर्भ में 6756 रुपये प्रतिमाह, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iv) उस कर्मचारी के संदर्भ में 9565 रुपये प्रतिमाह, जो 1 मई, 2005 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(v) उस कर्मचारी के संदर्भ में 11856 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 2007 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ग) यदि दोनों कुटुम्ब पेंशन विनियम 37 के उप-विनियम(1) में उल्लिखित दरों पर देय है तो दोनों पेंशन की राशि निम्न प्रकार सीमित की जायेगी-

(i) उस कर्मचारी के संदर्भ में 1250 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 1992 (अधिकारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में) अथवा 1 जुलाई, 1993 (अधिकारी के मामले में) से पहले या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(ii) उस कर्मचारी के संदर्भ में 2400 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 1992 के बाद (अधिकारी से भिन्न कर्मचारी के मामले में) अथवा 1 जुलाई, 1993 को या इसके बाद (अधिकारी के मामले में) या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iii) उस कर्मचारी के संदर्भ में 3378 रुपये प्रतिमाह, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(iv) उस कर्मचारी के संदर्भ में 4783 रुपये प्रतिमाह, जो 1 मई, 2005 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(v) उस कर्मचारी के संदर्भ में 5928 रुपये प्रतिमाह, जो 1 नवम्बर, 2007 को या उसके बाद या तो सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो ;

(घ) (i) जहां कुटुम्ब पेंशन एक से अधिक विधवाओं को संदेय है वहां कुटुम्ब पेंशन का सभी विधवाओं को समान भागों में संदाय किया जाएगा।

(ii) किसी विधवा की मृत्यु होने पर उसके अंश की कुटुम्ब पेंशन उसकी पात्र संतान को संदेय होगी।

परंतु यदि विधवा के कोई उत्तरजीवी संतान नहीं है तो उसके अंश की कुटुम्ब पेंशन व्यपगत नहीं होगी किंतु वह अन्य विधवाओं को समान भागों में संदेय होगी और यदि इस प्रकार की केवल एक ही विधवा जीवित रहती है तो पेंशन की संपूर्ण रकम उसे संदेय होगी।

(iii) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी की उत्तरजीवी एक विधवा है किंतु उसकी दूसरी पत्नी से, जो जीवित नहीं है, पात्र संतान कुटुम्ब पेंशन के उस अंश के लिए पात्र होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय उस संतान या संतानों की माता को यदि वह जीवित होती तो मिलता।

परंतु यह कि जब इस प्रकार की संतान या संतानों या विधवा या विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन का अंश संदेय नहीं होता है, तब वह रकम व्यपगत नहीं होगी बल्कि वह दूसरी विधवा या विधवाओं को जो इसके लिए अन्यथा पात्र होंगी, समान भागों में संदेय होगी यदि केवल एक ही विधवा या संतान हो तो उसे पूरी रकम संदेय होगी।

(iv) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी की उत्तरजीवी एक विधवा है किन्तु उसकी तलाकशुदा पत्नी अथवा पत्नियों से एक या अधिक संतान जीवित है तो संतान कुटुम्ब पेंशन के उस अंश के लिए पात्र होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् उस संतान की माता को तब तक मिलता है जब तक उनका तलाक न हुआ हो;

परंतु यह कि जब इस प्रकार की संतान या संतानों या विधवा या विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन का अंश संदेय नहीं होता है तब वह रकम व्यपगत नहीं होगी बल्कि वह दूसरी विधवा या विधवाओं को जो इसके लिए अन्यथा पात्र होंगी, समान भागों में संदेय होगी यदि केवल एक ही विधवा या संतान हो तो उसे पूरी रकम संदेय होगी।

(7) जहां कर्मचारी की मृत्यु के बाद वह न्यायिक पृथक्करण अलग हुए पति अथवा पत्नी छोड़कर जाता है, जिसकी कोई संतान या संतानें नहीं हैं, तो मृत कर्मचारी के संबंध में कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को दिया जायेगा यदि ऐसे पति या पत्नी का विवाह न हुआ हो:

परंतु यह कि जहां न्यायिक रूप से पृथक्करण जारकर्म के आधार पर प्रदान किया गया हो और कर्मचारी की मृत्यु ऐसे न्यायिक पृथक्करण के दौरान हुई हो तो उत्तरजीवी व्यक्ति को कुटुंब पेंशन देय नहीं होगी, यदि वह जारकर्म का दोषी पाया गया हो।

(8) (क) जहां किसी महिला या पुरुष कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने न्यायिक पृथक्करण द्वारा पति या विधवा छोड़ जाता या जाती है, जिसकी एक या अधिक संतान हैं वहाँ मृत कर्मचारी की बाबत संदेय कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी को संदेय होगी परंतु जब वह ऐसी संतान का संरक्षक हो।

(ख) जहां उत्तरजीवी व्यक्ति ऐसी संतान का संरक्षक नहीं रह गया है वहां कुटुंब पेंशन इस प्रकार की संतान के वास्तविक संरक्षक को संदेय होगी।

(9) यदि कुटुंब पेंशन के लिए पात्र पुत्र या अविवाहित पुत्री अठारह वर्ष की हो जाती है तो कुटुंब पेंशन का संदाय सीधे ऐसे पुत्र या अविवाहित पुत्री को किया जाएगा।

(10) (क) यदि कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में इन विनियमों के अधीन कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति पर उस कर्मचारी की हत्या करने का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया जाता है तो कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य या सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति के कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के दावे को उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों समाप्त होने तक निलंबित रखा जाएगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दांडिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर संबद्ध व्यक्ति -

(i) कर्मचारी की हत्या करने या हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे कुटुंब पेंशन से विवर्जित कर दिया जाएगा और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों को संदेय होगी।

(ii) कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बैंक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन संदेय होगी।

(ग) उप-खण्ड (क) और (ख) के उपबंध किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु पर संदेय होने वाली कुटुंब पेंशन पर भी लागू होंगे।

अध्याय VIII

संराशीकरण

39. संराशीकरण:-

(1) कोई कर्मचारी एकमुश्त संदाय के लिए अपनी पेंशन के एक तिहाई भिन्न से अनधिक भाग के संराशीकरण का हकदार होगा।

परन्तु यह है कि कर्मचारी के मामले में जो प्रभावी तिथि के पहले सेवा में था परन्तु अधिसूचित तिथि के पहले उसके सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गयी हो, ऐसे कर्मचारी का कुटुंब भी, कर्मचारी को अनुज्ञात पेंशन के लिए एक तिहाई भाग से अनधिक भिन्न के संराशीकरण का हकदार होगा।

(2) कर्मचारी यह उपदर्शित करेगा कि वह पेंशन के किस भिन्नांश को संराशीकरण के लिए निर्देशित करेगा, संराशीकरण के लिए या तो वह पेंशन की एक तिहाई भाग अर्थात् अधिकतम सीमा को उपदर्शित कर सकता है अथवा इससे कम सीमा तक अपनी इच्छानुसार संराशीकरण करा सकता है।

(3) यदि संराशीकरण के लिए पेंशन का भिन्न एक रुपये का अंश हो तो संराशीकरण के प्रयोजन के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा।

(4) किसी आवेदक को संदेय एकमुश्त रकम की संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी।

सारणी

एक रुपया प्रति वर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण मूल्य

अगली जन्म तिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	अगली जन्म तिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
17	19.28	35	16.92

18	19.20	36	16.72
19	19.11	37	16.52
20	19.01	38	16.31
21	18.91	39	16.09
22	18.81	40	15.87
23	18.70	41	15.64
24	18.59	42	15.40
25	18.47	43	15.15
26	18.34	44	14.90
27	18.21	45	14.64
28	18.07	46	14.37
29	17.93	47	14.10
30	17.78	48	13.82
31	17.62	49	13.54
32	17.46	50	13.25
33	17.29	51	12.95
34	17.11	52	12.66

53	12.35	69	7.22
54	12.05	70	6.91
55	11.73	71	6.60
56	11.42	72	6.30
57	11.10	73	6.01
58	10.78	74	5.72
59	10.46	75	5.44
60	10.13	76	5.17
61	9.81	77	4.90
62	9.48	78	4.65
63	9.15	79	4.40
64	8.82	80	4.17
65	8.50	81	3.94
66	8.17	82	3.72
67	7.85	83	3.52
68	7.53	84	3.32
		85	3.13

टिप्पण:

1. उपर्युक्त सारणी पेंशनभोगी की अगली जन्म तिथि पर उसकी आयु के संदर्भ में वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त पेंशन संराशीकरण मूल्य दर्शाती है।

2. अट्ठावन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य 10.46 वर्ष का क्रय है, और यदि वह अपनी सेवा निवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी मासिक पेंशन से रुपये एक सौ संराशित करता है, तो उसे संदेय राशि रु. $100 \times 10.46 \times 12 = 12.552$ होगी।

(5) कोई कर्मचारी जिसने अपनी पेंशन के अनुज्ञात भाग का संराशीकरण किया है, संराशीकरण की तारीख से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संराशीकृत भाग की पेंशन को पुनः प्राप्त करने का हकदार होगा।

(6) कोई आवेदक जो अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है, इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के भिन्न का संराशीकरण कराने का हकदार होगा।

परन्तु यह कि 1 जुलाई, 2003 अथवा किसी आवेदक जिसमें मामले में सेवानिवृत्त की तारीख के पश्चात् और उस तारीख से, जिस तारीख को पेंशन का संराशीकरण देय हो जाता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की राशि में कटौती इसके आरंभ से लागू हो जाएगा और जहां सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् प्रथम माह के भीतर और उस तारीख के पश्चात् प्रथम माह के भीतर जबकि संराशीकरण देय हो जाता है सामान्य मासिक पेंशन और संराशीकरण पेंशन के बीच का अंतर उस तारीख और संराशीकरण की देय तारीख के बीच की अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा और संराशीकृत पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख के बीच की अवधि के लिए जाएगा या तब किया जाएगा, जब पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, संराशीकरण देय हो जाता है और उस तारीख की पिछली तारीख को पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान किया गया है।

(7) ऐसे पेंशनभोगी की दशा में जो अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र है, कोई चिकित्सीय जांच आवश्यक नहीं होगी, यदि आवेदक संराशीकरण के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर देता है, तो यदि ऐसा पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के पश्चात् पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, तो उसकी अनुमति चिकित्सीय परीक्षा के अधीन होगी।

परन्तु यह है कि आवेदक के मामले में जो विनियम 44 के तहत अनंतिम पेंशन प्राप्त करता है और जिसके लिए पेंशन विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के निश्चयात्मकता पर पूर्ण अथवा एक मार्ग में प्राधिकृत किया गया है, यह उप-विनियमन में उद्धृत एक वर्ष अवधि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के अंतिम होने के क्रम में आदेशों के जारी होने की तिथि से माना जाएगा।

(8) कोई आवेदक जो -

(i) विनियम 28 के अधीन अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, या

(ii) विनियम 29 के अधीन अनुकंपा भत्ता प्राप्त करता है, या

(iii) बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और विनियम 31 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का पात्र है।

उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए पेंशन किसी भिन्न संराशीकरण के लिए पात्र तभी होगा जब बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे स्वस्थ घोषित कर दिया जाए।

(9) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में -

(i) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, पेंशन का संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के ठीक बाद की तारीख को पूर्ण होगा:

परन्तु यह कि विनियम 27 उप विनियम (3) द्वारा शासित कर्मचारी अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए 3 मास की सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन नहीं करेगा और पेंशन का संराशीकरण विनियम 27 उप विनियम (1) में दी गई सूचना की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ही पूर्ण होगा।

(ii) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर या सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर यदि वह पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा संराशीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख को करता है;

(iii) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद संराशीकरण के लिए आवेदन करता तो पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय प्रमाण-पत्र की तारीख को पूर्ण होगा।

(iv) जो 1 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च, 2010 तक सेवा में था और 31 मार्च, 2018 तक या पहले सेवानिवृत्त हुआ है और जो इन विनियमों के तहत निधि के सदस्य बनने का विकल्प लिया है, तो विनियम (3) के उप-विनियम (1) में विशिष्ट अवधि के भीतर 1 अप्रैल,

2018 तक जहाँ जानकारी हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्ररूप VI में और अन्य मामले में प्ररूप VII और प्ररूप VIII में किया गया है।

(v) जो पहली अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में था परंतु जो इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है, यदि विनियम 3 के उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप VI में आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन पूर्ण होगा।

(vi) जो पहली अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होता है परंतु अधिसूचित तारीख से पूर्व जिसकी मृत्यु हो जाती है, यदि प्ररूप VI में मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा उनकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर विनियम 3 के उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन पूर्ण होगा।

(vii) जिसकी बाबत विनियम 28 के अधीन अशक्त पेंशन या विनियम 29 के अधीन अनुकंपा भत्ता या विनियम 31 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अनुज्ञेय है, पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की तारीख को पूर्ण होगा।

अध्याय IX

सामान्य शर्तें

40. पेंशन भविष्य में अच्छे आचरण के अध्याधीन:-

इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक पेंशन की मंजूरी तथा इन्हें जारी रखे जाने हेतु भविष्य में अच्छा आचरण एक अंतर्निहित शर्त होगी।

41. पेंशन रोकना या प्रत्याहृत करना:-

यदि कोई पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण कार्य करने के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो सक्षम प्राधिकारी, पेंशन या उसके किसी भाग को, लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहृत कर सकेगा।

परन्तु यह कि जहाँ पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या प्रत्याहृत कर लिया जाता है, वहाँ ऐसी पेंशन की रकम इतनी कम नहीं की जाएगी कि वह इन विनियमों के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम हो जाए।

42. न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध:-

जहाँ कोई पेंशनभोगी किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, वहाँ कार्रवाई न्यायालय की ऐसी दोषसिद्ध से संबंधित निर्णय को ध्यान में रखकर की जाएगी।

43. गंभीर अवचार के लिए दोषी पेंशनभोगी:-

किसी ऐसे मामले में जो विनियम 42 के अधीन नहीं आता है, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि पेंशनभोगी गंभीर अवचार का प्रथम दृष्टया दोषी है तो कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व, यथास्थिति, वह सेवा विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

44. अनंतिम पेंशन:-

(1) यदि कोई ऐसा कर्मचारी या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या जहाँ विभागीय कार्यवाहियां चल रही हैं, वहाँ उसको दी जा सकने वाली अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन की अनुमति उसे, कार्यवाहियों के समाप्त होने पर अनुज्ञात किए जाने वाले सेवानिवृत्त फायदों के समायोजन के अधीन दी जाएगी किन्तु यदि अंतिम रूप से मंजूर पेंशन, अनंतिम पेंशन से कम है या पेंशन को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दिया गया है या रोक लिया गया है तो कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(2) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट मामले में उपदान का संदाय कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने पर कर्मचारी को किया जाएगा और किसी भी कर्मचारी से वसूल की जाने वाली धनराशि का समायोजन उसे संदेय उपदान की रकम से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय में

- (क) 'गंभीर अपराध' में ऐसा अपराध आता है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के अधीन कोई अपराध सम्मिलित है।
- (ख) 'गंभीर अवचार' में कोई गुप्त शासकीय संकेत को या संकेत शब्द या किसी रेखा चित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को, जैसे की शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 5 में वर्णित है, जो की बैंक के अधीन किसी पद को धारण करते समय प्राप्त हुई थी, संसूचित या प्रकट करना है जिससे कि जनसाधारण के हितों पर या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े सम्मिलित है।
- (ग) 'कपटपूर्ण' का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 25 के अधीन है।
- (घ) 'आपराधिक न्यास भंग' का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 405 के अधीन दिया गया है।
- (ङ.) 'कूट रचना' का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 463 के अधीन है।

45. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पेंशन का संराशीकरण:-

कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व संस्थित की गई हैं या जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं ऐसी कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान, यथास्थिति, अपनी पेंशन या अनंतिम पेंशन के किसी भाग का इन विनियमों के अधीन प्राधिकृत संराशीकरण का पात्र नहीं होगा।

46. बैंक को पहुंचाई गई धन संबंधी हानि की वसूली:-

(1) यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में किसी पेंशनभोगी को अपनी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो पेंशनभोगी के कारण बैंक को हुई धन संबंधी हानि के लिए सक्षम प्राधिकारी स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी पेंशन या उसके किसी भाग को रोक सकता है, प्रत्याहृत कर सकता है और पूरी रकम या उसके किसी भाग को पेंशन से वसूल करने का आदेश दे सकता है।

परन्तु यह कि इस उप-विनियम के अंतर्गत किसी अंतिम आदेश को पारित करने से पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि जहां पेंशन का एक भाग रोका गया है अथवा आहरित किया गया है, पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन की राशि इन विनियमों के अंतर्गत न्यूनतम देय पेंशन से कम नहीं होगी।

परन्तु यह और कि विभागीय कार्यवाहियां यदि कर्मचारी के सेवाकाल में संस्थित की गई थी तो कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर वे इस विनियम के अधीन कार्यवाहियां समझी जाएंगी और इन कार्यवाहियों को प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी द्वारा उन्हें इस प्रकार चालू रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा मानो कर्मचारी सेवा में बना हुआ है।

(2) वैसी घटना के संबंध में कोई विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी जहां ऐसी घटना के बाद चार वर्ष का समय बीत गया हो।

परन्तु यह कि इस उप-विनियम के अंतर्गत प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही उनकी सेवा अवधि के दौरान कर्मचारी के संबंध में विभागीय कार्यवाही हेतु लागू प्रक्रिया के अनुरूप होगा।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी धन संबंधी हानि की वसूली पेंशन में से करने का आदेश देता है वहां ऐसी वसूली सामान्यतया सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय पेंशन के एक तिहाई भाग से अधिक दर पर नहीं की जाएगी।

47. बैंक को शोध्य राशियों की वसूली:-

बैंक पेंशन के संराशीकरण मूल्य या मासिक पेंशन या कुटुम्ब पेंशन से बैंक को देय आवास ऋण, अग्रिम, अनुज्ञाप्ति फीस, अन्य वसूलियों और कर्मचारी राहकारी प्रत्यय सोसाइटी का देय शोध्य राशियों की वसूली करने का हकदार होगा।

48. सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक नियोजन:

(1) यदि कोई पेंशनभागी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अधिकारी का पद धारण कर रहा था अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए बैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा और उप-विनियम (2) के उपबंध के अध्याधीन बैंक लिखित आदेश के द्वारा ऐसी शर्तों के अध्याधीन, जिन्हें आवश्यक माना जाए, अनुमति प्रदान करेगा या लिखित रूप में अभिलेखबद्ध कारणों से अनुमति देने से मना कर सकता है।

(2) किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए विनियम (1) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इनकार करने में, बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात:

- (क) ग्रहण किए जाने के लिए प्रस्तावित नियोजन की प्रकृति और कर्मचारी का पूर्ववृत्त;
- (ख) क्या उस नियोजन में जो वह ग्रहण करने का प्रस्ताव करता है, उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसका बैंक के साथ विरोध हो,
- (ग) क्या पेंशनभोगी की जब वह सेवा में था तब उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन वह नियोजन चाहता है ऐसा व्यवहार था कि जिससे यह संदेह करने के लिए यह युक्तियुक्त आधार बनता है कि ऐसे पेंशनभोगी ने ऐसे नियोजक के प्रति पक्षपात किया था,
- (घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्यों में बैंक के साथ सम्पर्क या संबंध अंतर्वलित है,
- (ङ.) क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे कि बैंक के अधीन उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोजन को अनुचित फायदा देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है,
- (च) प्रस्तावित नियोजक द्वारा प्रस्थापित परिलब्धियां, और
- (छ) कोई अन्य सुसंगत बात

(3) जहां उप-विनियम (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर बैंक आवेदित अनुज्ञा देने से इनकार नहीं करता है या आवेदक को इनकार किए जाने की संसूचना नहीं देता है वहां यह समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदक को अनुज्ञा दे दी है।

परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी जाती है और बैंक के लिए उससे और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगना आवश्यक हो जाता है, वहां 60 दिन की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को आवेदक द्वारा त्रुटियां दूर की गई हैं या पूर्ण जानकारी दी गई है।

(4) जहां बैंक आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए देता है या ऐसी अनुज्ञा देने से इनकार करता है वहां आवेदक उस आशय के बैंक के आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किसी ऐसी शर्त या इनकार किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा और बैंक उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

परन्तु इस उप-विनियम के अधीन ऐसी किसी शर्त को रद्द करने वाले या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुज्ञा वाले किसी आदेश के भिन्न कोई आदेश, अभ्यावेदन करने वाले पेंशनभोगी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(5) यदि कोई पेंशनभोगी बैंक की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी सेवानिवृत्ति तारीख से दो वर्ष समाप्ति के पूर्व किसी समय कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या किसी ऐसी शर्त को भंग करता है जिसके अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुज्ञा उसे इस विनियम के अधीन दी गई है तो बैंक लिखित आदेश द्वारा और उसमें लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगा कि वह सम्पूर्ण पेंशन या उसके ऐसे भाग का ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए हकदार नहीं होगा।

परन्तु ऐसा कोई आदेश संबंधित पेंशनभोगी को ऐसी घोषणा के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन कोई आदेश करने में बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा:

- (i) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियां;
- (ii) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे प्राप्त होने वाली परिलब्धियां
- (iii) कोई अन्य संगत बात।
6. बैंक द्वारा इस नियम के अधीन पारित किया गया प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को संसूचित किया जाएगा।
7. इस विनियम में वाणिज्यिक नियोजन से -
- (i) व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक कारोबार लगी हुई किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) सहकारी सोसाइटी फर्म या व्यष्टि के अधीन अभिकर्ता सहित किसी भी हैसियत में कोई नियोजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी का निदेशकत्व (बैंकिंग कंपनी सहित) और ऐसी फर्म की भागीदारी भी है किन्तु ऐसी निगमित निकाय के अधीन नियोजन इसके अंतर्गत नहीं है जिस पर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का पूर्णतः या अधिकांशतः स्वामित्व या नियंत्रण है।
- (ii) स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में ऐसे मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में व्यवसाय स्थापित करना अभिप्रेत है जिनकी बावत पेंशनभोगी -
- (क) के पास कोई वृत्तिक अर्हताएं नहीं हों और जिन विषयों की बावत व्यवसाय करना है या चलाना है उनका संबंध उसके पदीय ज्ञान या अनुभव से माना जा सकता है, या

- (ख) के पास वृत्तिक अर्हताएं हैं किन्तु जिन विषयों की बावत ऐसा व्यवसाय करना है वे ऐसे हैं कि उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति के कारण उसके ग्राहकों को अनुचित फायदा होना अधिसंभाव्य हो, या
- (ग) को ऐसा काम करना होगा जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ सम्पर्क या संबंध स्थापित करना पड़ सकता हो।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए 'सहकारी सोसाइटी के अधीन नियोजन' के अधीन किसी पद का चाहे व निर्वाचित हो अन्यथा धारण करना आता है, जैसे अध्यक्ष सभापति, प्रबंधक, सचिव, कोषपाल आदि चाहे उस सोसाइटी में वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।

49. नामनिर्देशन:

- (1) न्यास इन विनियमों द्वारा शासित प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा नामनिर्देशन करने के लिए अनुज्ञात करेगा जिसमें पेंशनिक फायदों की रकम संदेय होने या संदेय हो जाने के पश्चात् संदत्त न किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में इन विनियमों की अधीन पेंशन संबंधी फायदों की रकम प्राप्त न करने का अधिकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया गया हो और ऐसे नामनिर्देशन ऐसे प्रपत्र में किए जा सकेंगे जो समय-समय पर बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) यदि कोई कर्मचारी उप-विनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता है तो वह नाम निर्देशन में नामनिर्देशिनी में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उसकी मृत्यु के पश्चात् संदेय सम्पूर्ण पेंशनिक फायदे की रकम आ जाए।
- (3) किसी कर्मचारी द्वारा किए गए नाम निर्देशन का, न्यास को बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सूचना देकर किसी भी समय उपांतरण किया जा सकता है या प्रति संहरण किया जा सकता है।
- (4) कोई नामनिर्देशन अथवा उसके प्रति संहरण या उपांतरण न्यास को प्राप्त होने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस दिन उसे न्यास द्वारा संशोधित किया जाए।

50. पेंशन संदेय होने की तारीख:

- (1) ऐसे कर्मचारी के मामले को छोड़कर, जिनमें विनियम 41 तथा विनियम 44 के उपबंध लागू होते हैं। कुटुम्ब पेंशन को छोड़कर अन्य पेंशन प्रभावी तिथि से अथवा जो भी मामला हो, सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से, जो भी बाद में हो, देय होगा, यदि कर्मचारी ने निधि का सदस्य बनने का विकल्प चुना हो तथा इन विनियमों के अंतर्गत नियत अवधि के भीतर बैंक की समस्त अंशदान राशि को वापिस कर दिया हो।
- (2) ऐसे कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, जिनमें विनियम 41 तथा विनियम 44 के उपबंध लागू होते हैं, कुटुम्ब पेंशन प्रभावी तिथि से अथवा कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से, जो भी बाद में हो, लागू होगा यदि मृत कर्मचारी के परिवार ने निधि के सदस्य बनने का विकल्प चुना है तथा इन विनियमों के अंतर्गत नियत अवधि में बैंक के अंशदान की समस्त राशि लौटा दी हो।

51. मुद्रा जिसमें पेंशन देय होगी:

इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय सभी पेंशन केवल रुपए में और भारत में संदेय होगी।

52. पेंशन संदाय की रीति:

मासिक दर पर नियत की गई पेंशन प्रतिमास आगामी मास के पहले दिन को या उसके पश्चात् संदेय होगी।

53. अनुदेश जारी करने की शक्ति:

बैंक का अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे अथवा इन विनियमों के कार्यान्वयन में तेजी ला सकता है।

54. अवशिष्ट प्रावधान

इन विनियमों को लागू करने के मामले में संशय की स्थिति में ऐसे अपवादों एवं उपांतरणों के साथ जिन्हें बैंक पंजाब नैशनल बैंक प्रायोजक बैंक के रूप में तथा राष्ट्रीय बैंक केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर निर्धारित करेगा, केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के संबंधित प्रावधान का अनुसरण किया जाए।

फार्म - I

[विनियम 33(1) देखें]

मूल वेतन और अतिरिक्त पेंशन का अद्यतन

1. 1 सितम्बर, 1987 और 31 अक्टूबर, 1987 के कालावधि के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन के अद्यतन करने का सूत्र निम्नलिखित रूप में होगा:

(क)	(क) पेंशन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के प्रथम रु. 1000 का 50 प्रतिशत	रु.-----
	(ख) अगले रु. 500 का 45 प्रतिशत	रु.-----
	(ग) पेंशन के लिए गणना योग्य रु. 1500 से अधिक औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत	रु.-----
	कुल (क+ख+ग)	रु.-----
(ख)	सेवानिवृत्ति के पहले सेवा के अंतिम मासों की औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत	रु.-----
(ग)	उपर्युक्त (क) पर संगणित मूल पेंशन पर नीचे दी गई सारणी के अनुसार 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 600 सूचकांक पर महंगाई राहत	रु.-----
(घ)	कुल मूल पेंशन = (ख) + (ग) X अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष)	रु.-----

33

(ड.)	तारीख 1.4.2018 को मूल पेंशन (अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित)	रु.-----
------	--	----------

2. अतिरिक्त पेंशन के लिए भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना योग्य विशेष भत्तों की रकम सेवानिवृत्ति के समय आहरित विशेष भत्तों के तदनुरूपी राशि होगी।
3. 1 सितम्बर, 1987 से 31.10.1987 के कालावधि के बीच की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए 1960=1000 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर निकाली गयी महंगाई राहत की दरें।

- (क) अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी : ऊपर 1(क) पर परिकल्पित पेंशन का 80.40 प्रतिशत
रु. 756/- प्रतिमास तक पेंशन आहरित करने वाले
- (ख) लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी : ऊपर 1(क) पर परिकल्पित पेंशन का 67 प्रतिशत।
रु. 756/- प्रतिमास और उससे अधिक पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित महंगाई राहत के पात्र होंगे:
- (ग)

सारणी

क्र. सं.	आहरित मूल पेंशन की रकम (रु.)	प्रतिमाह अनुज्ञेय महंगाई राहत की रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.	757-796	508.00
2.	797-804	534.00
3.	805-824	540.00
4.	825-844	553.00
5.	845-864	567.00
6.	865-884	580.00
7.	885-904	593.00
8.	905-924	607.00
9.	925-944	620.00
10.	945-964	634.00
11.	965-984	647.00
12.	985-1004	660.00
13.	1005-1024	674.00
14.	1025-1044	687.00
15.	1045-1064	701.00
16.	1065-1085	714.00
17.	1058 और उससे अधिक	727.00

(घ) अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित रीति से महंगाई राहत के लिए पात्र होंगे:

सारणी

क्र.सं.	(2)	(3)
(1)		
(i)	रु. 765/- प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	: उपर्युक्त 1(क) के अनुसार परिकल्पित पेंशन की रकम का 66 प्रतिशत, किंतु अधिकतम राशि 500 रु. होगी।
(ii)	रु. 765/- से रु. 1165/- प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	: 500/- रु.
(iii)	रु. 1165/- प्रतिमास या उससे अधिक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	: उपर्युक्त 1(क) के अनुसार परिकल्पित पेंशन की रकम का 42.90 प्रतिशत, किंतु अधिकतम राशि 715 रु. होगी।

फार्म II

[विनियम 35(1) देखें]

पेंशन पर महंगाई राहत

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित रूप में होगी:

- (1) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो 1 सितम्बर, 1987 को या उसके पश्चात किंतु कर्मचारी संवर्ग के लिए 1 नवंबर, 1992 से पहले तथा अधिकारी संवर्ग के लिए 1 जुलाई, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 600 अंकों को ऊपर प्रत्येक अंक के लिए महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी और ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी:

सारणी

क्र. सं.	प्रति मास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
(i)	रु. 1250 तक	0.67 प्रतिशत
(ii)	रु. 1251 से रु. 2000	रु. 1250 का 0.67 प्रतिशत और रु. 1250 से अधिक मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत
(iii)	रु. 2001 से रु. 2130	रु. 1250 का 0.67 प्रतिशत और रु. 2000 और रु. 1250 के बीच का अंतर का 0.55 प्रतिशत और रु. 2000 से अधिक मूल पेंशन 0.33 प्रतिशत
(iv)	रु. 2130 से अधिक	रु. 1250 का 0.67 प्रतिशत और रु. 2000 और रु. 1250 के बीच का अंतर का 0.55 प्रतिशत और रु. 2130 और रु. 2000 के बीच का अंतर का 0.33 प्रतिशत और रु. 2130 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत

- (2) ऐसे कर्मचारी संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में जो पहली नवंबर, 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए; और अधिकारी संवर्ग के मामले में पहली जुलाई, 2013 को या उसके पश्चात लेकिन पहली अप्रैल, 1998 से पहले सेवानिवृत्त होते हैं, 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 1148 अंकों से ऊपर प्रत्येक चार अंक की महंगाई राहत यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी। ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी:

सारणी

क्र. सं.	प्रति मास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
(i)	(i) रु. 2400 तक	0.35 प्रतिशत
(ii)	(ii) रु. 2401 से रु. 3850	रु. 2400 का 0.35 प्रतिशत और रु. 2400 से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत
(iii)	(iii) रु. 3851 से रु. 4100	रु. 2400 का 0.35 प्रतिशत और रु. 3850 और रु. 2400 के बीच का अंतर का 0.29 प्रतिशत और रु. 3850 से अधिक मूल पेंशन 0.17 प्रतिशत
(iv)	(iv) रु. 4100 से अधिक	रु. 2400 का 0.35 प्रतिशत और रु. 3850 और रु. 2400 के बीच का अंतर का 0.29 प्रतिशत और रु. 4100 और रु. 3850 के बीच का अंतर का 0.17 प्रतिशत और रु. 4100 से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत

- (3) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो पहली अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात परन्तु 31 अक्टूबर, 2002 से पहले सेवानिवृत्त होते हैं, 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 1684 अंकों से ऊपर प्रत्येक चार अंक की महंगाई राहत यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी। ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी:

सारणी

क्र. सं.	प्रति मास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
(i)	रु. 3550 तक	0.24 प्रतिशत

(ii)	रु. 3551 से रु. 5650	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत और रु. 3550 से अधिक मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत
(iii)	रु. 5651 से रु. 6010	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत और रु. 3550 और रु. 5650 के बीच का अंतर का 0.20 प्रतिशत और रु. 5650 से अधिक मूल पेंशन 0.12 प्रतिशत
(iv)	रु. 6010 से अधिक	रु. 3550 का 0.24 प्रतिशत और रु. 3550 और रु. 5650 के बीच का अंतर का 0.20 प्रतिशत और रु. 6010 और रु. 5650 के बीच का अंतर का 0.12 प्रतिशत और रु. 2130 से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत

- (4) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो 1 नवम्बर, 2002 को या उसके पश्चात किंतु 31 अक्टूबर, 2007 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 2288 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी।
- (5) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो 1 नवम्बर, 2007 को या उसके पश्चात किंतु 1 नवंबर, 2012 से पहले सेवानिवृत्त होते हैं, 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 2836 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी।
- (6) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो 1 नवम्बर, 2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं, 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 4440 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी।

टिप्पण:

1. महंगाई राहत पहली फरवरी से प्रारंभ होने वाली और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पूर्व वर्ष के अक्टूबर, नवंबर और दिसम्बर माह के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत के आधार पर और पहली अगस्त से प्रारंभ होने वाली और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए उसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून मास के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत आधार पर संदेय होगी।
2. कुटुंब पेंशन, अशक्त पेंशन के मामले में महंगाई राहत उपर्युक्त दरों के अनुसार संदेय होगी।
3. संराशीकरण के पश्चात भी पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमति होगी।
4. अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत संदेय नहीं है।
5. वे पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है लेकिन जिनकी मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है वे न्यूनतम पेंशन पर यथा लागू महंगाई राहत आहरित करेंगे।

फार्म III

[विनियम 37(1)(ग) देखें]

कुटुम्ब पेंशन की सामान्य दरें

कुटुम्ब पेंशन की सामान्य दरें निम्नलिखित होंगी:

(क) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न 1 नवम्बर, 1992 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए, अंशकालिक कर्मचारियों की बाबत:

सारणी

प्रतिमास वेतनमान (1)	मासिक कुटुम्ब पेंशन की रकम (2)
1500 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी।

22200 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 4448 रु. प्रतिमास से कम और 9284 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।
-------------------	--

टिप्पण:

1. महंगाई राहत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन पर संदेय नहीं है।
2. यथापूर्वोक्त कुटुम्ब पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए "वेतन मान" विनियम 2 के उप खंड (न) में यथा परिभाषित "वेतन" और विनियम 33 के उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित भत्तों का योग होगा।
3. अंशकालिक कर्मचारी के मामले में कुटुम्ब पेंशन की न्यूनतम राशि और कुटुम्ब पेंशन की अधिकतम राशि कर्मचारी को मिलने वाले मज़दूरी मान की दर के अनुपात में होगी।
4. मूल कुटुम्ब पेंशन और अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन के योग के न्यूनतम पेंशन के कम होने के मामले में पेंशनभोगी को न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ऐसी न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा और न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन के अलावा कोई अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन देय नहीं होगी।

प्ररूप IV

[विनियम 25(2) देखिए]

स्थायी अंशकालिक कर्मचारियों के अर्हक सेवा**सारणी**

क्र. सं.	एक सप्ताह में मज़दूरी मान पर स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई वास्तविक सेवा	पेंशन की राशि के संगणना के लिए स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तत्स्थानी अर्हक सेवा की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	छह घंटे या उससे अधिक किन्तु 13 घंटे से कम	वर्ष का एक तिहाई
2.	13 घंटे से अधिक किन्तु 19 घंटे से कम	वर्ष का आधा
3.	19 घंटे से अधिक किन्तु 29 घंटे तक	वर्ष का तीन चौथाई
4.	29 घंटे से अधिक	एक वर्ष

प्ररूप V

[विनियम 37(1)(ग)देखें]

मूल कुटुम्ब पेंशन और अतिरिक्त परिवार पेंशन की संगणना

कर्मचारी जो 1 सितम्बर, 1987 तक या बाद में बैंक की सेवा में थे और 31 अक्टूबर, 1987 तक या पहले तक सेवा देते हुये उसकी मृत्यु हुई थी या 31 अक्टूबर, 1987 को या पहले सेवानिवृत्त हुए परन्तु मृत्यु हो गई थी, के संबंध में मूल कुटुम्ब पेंशन और अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन का संगणना का सूत्र निम्नलिखित होगा:-

(1) मूल कुटुम्ब पेंशन:

(क) मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय मृत कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन

रुपये _____

(ख) नीचे दी गई सारणी के अनुसार साधारण दरों पर मूल कुटुम्ब पेंशन

रुपये _____

- (ग) उपर्युक्त (ख) में परिकल्पित मूल कुटुंब पेंशन पर परिशिष्ट-1 में दी गई सारणी-1 के अनुसार 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 600 सूचकांक पर मंहगाई राहत

रुपये _____

- (घ) अद्यतन मूल कुटुंब पेंशन अर्थात् (ख) + (ग)

रुपये _____

- (ङ) उपर्युक्त (घ) के अनुसार अद्यतन मूल कुटुंब पेंशन (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित करना)

रुपये _____

- (च) उपर्युक्त (घ) के मामले में नया आधार कुटुंब पेंशन का डेढ़ गुना या दोगुना मूल कुटुंब पेंशन (अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित)

रुपये _____

- (2) अतिरिक्त कुटुंब पेंशन :

सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पहले विशेष भत्ते के अनुरूप 10 अप्रैल, 1989 का द्विपक्षीय समझौता या सेवा विनियमों के शर्तों के अनुरूप भविष्य निधि में किये गये अनुदानों की राशि की मात्रा को विशेष भत्ता अतिरिक्त कुटुंब पेंशन के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

- (3) कुटुंब पेंशन की सामान्य दरें निम्नलिखित होंगी:

सारणी

वेतन श्रृंखला	कुटुंब पेंशन की राशि
(1)	(2)
664 रुपये से कम	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु मंहगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 100 रु. से कम नहीं होगा और 166 रुपए से अधिक नहीं होगा।
664 रुपये से अधिक लेकिन 1992 रुपये से कम	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु मंहगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 166 रु. से कम नहीं होगा और 266 रुपए से अधिक नहीं होगा।
1992 रुपये से और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी और ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु मंहगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 12 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम 266 रु. प्रतिमाह और अधिकतम 415 रु. प्रतिमाह होगा।

टिप्पण:

1. अतिरिक्त कुटुंब पेंशन में मंहगाई राहत देय नहीं होती है।
2. जिस मामले में अद्यतित मूल कुटुंब पेंशन तथा अद्यतित अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग 375 रुपये से कम होता है पेंशनभोगी को 375 रुपये की पेंशन और उस पर मंहगाई राहत का भुगतान किया जायेगा तथा इस मामले में कोई अद्यतित अतिरिक्त कुटुंब पेंशन देय नहीं होगी।

प्ररूप VI

[विनियम 39 (9) देखें]

बैंक का नाम : -----

बिना चिकित्सा जांच के पेंशन के सरांशीकरण हेतु आवेदन
(सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा)

सेवा में

पदनामित प्राधिकारी

पासपोर्ट आकार
की
अनुप्रमाणित
फोटो चिपकाने
हेतु स्थान

महोदय,

मैं बैंक की सेवा से तारीख ----- को सेवानिवृत्त हुआ/हो जाऊंगा। मैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के अनुरूप अपनी पेंशन के ----- अंश के सरांशीकरण हेतु इच्छुक हूँ। आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) : -----
सेवानिवृत्ति के समय
पदनाम : -----
कार्यालय/विभाग का नाम जिससे
सेवानिवृत्त हुए : -----
जन्म की तारीख (बैंक के सेवा
अभिलेख के अनुसार) : -----
सेवानिवृत्ति की तारीख : -----
पेंशन की श्रेणी : -----
पेंशन का वह भाग जिसका
सरांशीकरण प्रस्तावित है जोकि
जोकि पेंशन के 1/3 से अधिक
नहीं होगा : -----

स्थान :

पता:

हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

श्री/श्रीमती/कुमारी ----- से पेंशन के सरांशीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

पूर्व पदनाम

स्थान :

तारीख :

(पदनामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप VII

[विनियम 39 (9) देखें]

बैंक का नाम: -----

चिकित्सा जांच के अध्यधीन पेंशन के सरांशीकरण हेतु आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग - Iसेवा में
पदनामित प्राधिकारीपासपोर्ट आकार
की
अनुप्रमाणित
फोटो चिपकाने
हेतु स्थान

महोदय,

मैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के अनुरूप अपनी पेंशन के ----- अंश के सरांशीकरण हेतु इच्छुक हूँ। मेरे फोटो की एक अनुप्रमाणित प्रति आवेदन पर चिपकी हुई है और एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न है। आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) : _____
2. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम : _____
3. कार्यालय/विभाग का नाम जिससे सेवानिवृत्त हुए : _____
4. जन्म की तारीख (बैंक के सेवा अभिलेख के अनुसार) : _____
5. सेवानिवृत्ति की तारीख : _____
6. पेंशन की श्रेणी : _____
7. पेंशन का वह भाग जिसका सरांशीकरण प्रस्तावित है जोकि जोकि पेंशन के 1/3 से अधिक

नहीं होगा : _____

8. उस स्थान की वरीयता (पसंद) जहां पर चिकित्सा जांच कराने के इच्छुक हैं : _____

स्थान :

तारीख : _____

हस्ताक्षर

पता : -----

अभिस्वीकृति

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ से पेंशन के सरांशीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।
(पूर्व पदनाम)

स्थान :

तारीख : _____

(पदनामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप VII - भाग - II
(पदनामित प्राधिकारी द्वारा पूरा किया जाना है)

1. आवेदक का नाम : _____
2. जन्म की तारीख (बैंक के सेवा अभिलेख के अनुसार) : _____
3. सेवानिवृत्ति की तारीख : _____
4. पेंशन की श्रेणी : _____
5. पेंशन की राशि : _____
6. पेंशन की राशि जिसके सरांशीकरण हेतु इच्छुक : _____

के आधार पर

जोड़े गए वर्ष		
सामान्य आयु	-----	
1 वर्ष	2 वर्ष	
_____	_____	_____
रुपये	रुपये	रुपये

- 7.(i) आवेदक के अगले जन्मदिन जोकि तारीख _____ को पड़ता है से पूर्व सरांशीकरण पूरी हो जाने पर देय राशि : _____
 - (ii) आवेदक के अगले जन्मदिन जोकि तारीख _____ को पड़ता है के पश्चात सरांशीकरण पूरी हो जाने पर देय राशि : _____
8. संलग्नकों, यदि कोई हो, की संख्या (कृपया नीचे टिप्पण देखें)
स्थान : _____
तारीख : _____

(पदनामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

टिप्पण: यदि आवेदक को अमान्य पेंशन प्रदान की गयी है या उसने पूर्व में अपनी पेंशन के अंश का सरांशीकरण करवाया है या वास्तविक आयु में वर्षों के जुड़ने के आधार पर सरांशीकरण को स्वीकार करने की मनाही की है या उसे चिकित्सा आधार पर मनाही (सरांशीकरण) की गयी है तो पदनामित प्राधिकारी को फॉर्म के साथ आवेदक के मामले की प्राप्ति या विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए।

प्ररूप VII - भाग - II (जारी)

श्री/श्रीमती/कु. _____ को प्रतिलिपि अग्रेषित

(पूरा डाकपता दें)

बैंक के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के अध्याधीन, वह नामित प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पेंशन की राशि के बदले एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र होंगे:-

के आधार पर

जोड़ा गया वर्ष		
सामान्य आयु	1 वर्ष	2 वर्ष
_____	_____	_____
रु.	रु.	रु.

- (i) संदेय राशि यदि संराशीकरण आवेदक के अगले जन्मदिन, जो कि _____ को पड़ता है, से पूर्व पूरा हो जाता है : _____
- (ii) संदेय राशि यदि संराशीकरण आवेदक के अगले जन्मदिन, जो कि _____ को पड़ता है, के पश्चात पूरा होता है : _____

टिप्पण: वर्तमान मूल्य की तालिका जिसके आधार पर नामित प्राधिकारी द्वारा गणना की जाती है, किसी भी समय सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है और इसके परिणामस्वरूप यह आधार भुगतान करने से पूर्व संशोधन के लिए उत्तरदायी है और देय राशि संराशीकरण पूरा होने की तारीख के पश्चात आवेदक के जन्मदिन की आयु के लिए उपयुक्त राशि होगी या यदि चिकित्सा अधिकारी निर्देश देता है कि उस उम्र में उस वर्ष को जोड़ा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप आयु माना जाता है।

अभिस्वीकृति

श्री/श्रीमती/कु. _____ को _____ अपराहन और _____ पूर्वाहन के बीच बैंक के डिस्पेंसरी में बैंक के चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सकीय जांच के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। उन्हें अपने साथ हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप को छोड़कर भाग-1 में आवश्यक विवरणों के साथ पूरा करके उसे संलग्न प्ररूप सं. VIII के साथ ले जाना चाहिए।

स्थान :

तारीख :

(नामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप VII - भाग III

बैंक का नाम : _____

(चिकित्सकीय जांच के लिए पेंशनभोगी को निर्दिष्ट
करते हुए बैंक के चिकित्सा अधिकारी को मसौदा पत्र)

संदर्भ सं.:

तारीख :

सेवा में

डॉ. _____

(बैंक के चिकित्सा अधिकारी)

महोदय/महोदया,

चिकित्सकीय जांच – पेंशन का संराशीकरण

श्री/श्रीमती/कु. _____ जो सेवा से _____ को _____
_____ (पदनाम) के रूप में सेवानिवृत्त हुए, ने एकमुश्त भुगतान के लिए अपनी पेंशन के एक अंश को संराशीत करने के लिए आवेदन किया है। निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ अग्रेषित किए गए हैं।

(क) मूल रूप में प्ररूप सं. VII में आवेदन।

(ख)* आवेदक के मामले की रिपोर्ट या विवरण यदि उसे अमान्य पेंशन स्वीकृत की गई है या उसने अपनी पेंशन के एक अंश को पूर्व में संराशीकरण किया है या अपनी वास्तविक उम्र में वर्षों के अतिरिक्त के आधार पर संराशीकरण को स्वीकार करने से मना कर दिया है या चिकित्सकीय आधार पर संराशीकरण से इंकार कर दिया गया है।

विनियम के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 (पेंशन का संराशीकरण), श्री/श्रीमती/कु. _____ की बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती/कु. _____ की चिकित्सकीय जांच के संबंध में यथा संभव हो सके तो चार सप्ताह के भीतर जांच किए जाने की व्यवस्था की जाए।

इस पत्र की एक प्रति उनके लिए पृष्ठांकित की जा रही है जिससे कि वह जल्द से जल्द चिकित्सकीय जांच के लिए उपस्थित हो सकें।

कृपया इस पत्र की अभिस्वीकृति स्वीकार की जाए।
भवदीय,

(नामित प्राधिकरण)

*जो भी लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप VIII

[विनियम 39(9) देखें]

भाग I

बैंक का नाम -----

सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाने के लिए स्थान

**बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय
जांच करने के लिए पेंशनभोगी द्वारा घोषणा।**

आवेदक को बैंक के चिकित्सा अधिकारी उसकी जांच करने से पूर्व इस घोषणा को पूरा करने होगा और बैंक के चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में इस घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा।

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. जन्म की तारीख (बैंक के सेवा अभिलेखों के अनुसार)
3. माता-पिता के बारे में विवरण:
पिता की उम्र, यदि जीवित हों और स्वास्थ्य की स्थिति।
मृत्यु के समय पिता की उम्र और मृत्यु का कारण।
माता की उम्र, यदि जीवित हों और स्वास्थ्य की स्थिति।
मृत्यु के समय माता की उम्र और मृत्यु का कारण।
4. क्या आपको अमान्य पेंशन देने के संबंध में विचार किया गया है?
यदि हां, तो उसका क्या आधार है?
5. क्या आपको आपकी सेवा के पिछले तीन वर्ष के दौरान चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो अवकाश की अवधि और बीमारी की प्रकृति को स्पष्ट करें।
6. क्या आप पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान हैं -
 - (क) किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने से अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता रही है?
यदि हां, तो कृपया बीमारी की प्रकृति और अस्पताल में भर्ती करने की अवधि का विवरण दिया जाए; या
 - (ख) किसी बड़े सर्जरी ऑपरेशन से गुजरे हैं।
 - (ग) उल्लेखनीय रूप से भार में कमी या वृद्धि हुई है।

आवेदक द्वारा उद्घोषणा**बैंक के चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाना है**

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दिए गए सभी उत्तर जहाँ तक मेरा विश्वास है, सत्य और सही है।

मुझे भलीभांति यह ज्ञात है कि जानबूझकर गलत विवरण देने या संगत तथ्य को छिपाने से, मेरी संराशीकरण को खो देने का जोखिम होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर या आवेदक के साक्षर न होने के मामले में अंगूठे का निशान

(बैंक के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप Vlll - पार्ट II

पेंशनभोगी का चिकित्सकीय विवरण

(जांचकर्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाना)

1. वर्तमान (अपैरेंट) आयु
2. ऊंचाई
3. भार
4. आवेदक का कोई निशान या पहचान संबंधी कोई चिह्न का वर्णन
5. पल्स दर -
 - क) सिटिंग
 - ख) स्टैंडिंग
- नाडी की प्रकृति क्या है?
6. रक्त चाप -
 - क) सिस्टोलिक
 - ख) डायस्टोलिक
7. क्या मुख्य अंगों की बीमारी का कोई साक्ष्य है -
 - क) दिल
 - ख) फेंफड़े
 - ग) लीवर
 - घ) स्प्लीन
 - ड.) किडनी
8. जांच (जहां कहीं भी बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाता है)
 - (i) मूत्र (अवस्था विशिष्ट गुरुत्व)
 - (ii) रक्त
 - (iii) एक्स-रे चेस्ट
 - (iv) ई.सी.जी.
9. कोई अतिरिक्त तथ्य

प्ररूप Vlll - भाग III

पेंशन के संराशीकरण के भुगतान के लिए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

(जांचकर्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

मैंने/हमने सावधानीपूर्वक श्री/श्रीमती/कु. _____ की जांच की है/ और मेरी राय है कि -

उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और जीवन की औसत अवधि की संभावना है।

या

उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह संराशीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है।

या

हालांकि वह _____

से पीड़ित हैं फिर भी उन्हें संराशीकरण के लिए उपयुक्त माना जाता है किन्तु संराशीकरण के उद्देश्य से उनकी उम्र को _____ (शब्दों में) को उनकी वास्तविक उम्र से अधिक वर्षों के लिए लिया जाना चाहिए।

स्थान :

तारीख :

(जांचकर्ता चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर और पदनाम)

उदय चन्द्र, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./385/18]

NOTIFICATION

Mandi, the 3rd December, 2018

HPGB (PENSION REGULATIONS 2018)

F.No. HPGH/HO/HRD/2018.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with sub-section (1) of section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Himachal Pradesh Gramin Bank after consultation with Punjab National Bank being the Sponsor Bank and the National Bank and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—

- (1) These Regulations may be called "Himachal Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018".
- (2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) "**Act**" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);
- (b) "**actuary**" shall have the meaning assigned to it in clause (1) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (c) "**average emoluments**" means the average of the pay drawn by an employee during the last ten months of his service in the Bank;
- (d) "**Bank**" means Himachal Pradesh Gramin Bank established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (e) "**Board**" means the Board of Directors of the Bank;
- (f) "**child**" means a child of the employee, who if a son, is under twenty-five years of age and if a daughter, is unmarried and is under twenty-five years of age and the expression "children" shall be construed accordingly;
- (g) "**competent authority**" shall have the same meaning as assigned to it in the Himachal Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010;
- (h) "**contribution**" means any sum credited by the Bank on behalf of employee to the Fund, but shall not include any sum credited as interest;

- (i) **"date of retirement"** means the last date of the month in which an employee attains the age of superannuation or the date on which he is retired by the Bank or the date on which the employee voluntarily retires;
- (j) **"employee"** means any person employed in the service of the Bank, whether as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages or as an officer and who opts and is governed by these regulations, but does not include a person employed either on contract basis or daily wage basis or on consolidated wages;
- (k) **"effective date"** means the 1st day of April, 2018;
- (l) **"eligible employee"** means an employee who is eligible for pension under these regulations;
- (m) **"employees' pension scheme, 1995"** means the Employees' Pension Scheme constituted under the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);
- (n) **"family"** in relation to an employee means,-
- (i) wife in the case of a male employee or husband in the case of a female employee (whether the marriage took place before or after retirement);
- (ii) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery and the person surviving was not held guilty of committing adultery;
- (iii) (A) unmarried sons or unmarried daughters (born before or after retirement including those adopted) who have not attained the age of twenty-five years;
- (B) unmarried sons or unmarried daughters suffering from any disorder or disability of mind or physically crippled;
- (iv) widowed daughters or divorced daughters (born before or after retirement) without any age restriction;
- (v) parents who were wholly dependent on the employee when such employee was alive, subject to the following conditions:
- (A) the diseased employee had left behind neither a widow or widower nor an eligible son or daughter or a widowed or divorced daughter and that the earnings of the parents is less than two thousand five hundred and fifty rupees per month.
- (B) where the diseased employee has left behind a childless widow, they become eligible for family pension only after the death of childless widow or when her independent income from all other sources becomes equal to or higher than two thousand five hundred and fifty rupees per month;
- (o) **"family pension"** means the family pension referred to in regulation 37;
- (p) **"financial year"** means a year commencing on the 1st day of April;
- (q) **"Fund"** means the "Himachal Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension Fund" constituted under regulation 4;
- (r) **"National Pension System"** means the National Pension System as defined in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
- (s) **"notified date"** means the date on which these regulations are published in the Official Gazette;
- (t) **"pay"** means the basic pay including stagnation increments, if any, and all allowances counted for the purpose of making contributions to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance;
- (u) **"pension"** means the class of pension as specified in Chapter V and includes family pension;
- (v) **"pensioner"** means an employee eligible for pension under these regulations;
- (w) **"qualifying service"** means the service rendered on regular basis which shall be taken into account for the purpose of pension under these regulations;
- (x) **"retirement"** means cessation from Bank's service,-
- (i) on attaining the age of superannuation as specified in the service regulations;
- (ii) on voluntary retirement in accordance with provisions contained in regulation 28;
- (iii) on premature retirement by the Bank before attaining the age of superannuation in accordance with provisions contained in regulation 30;

- (y) **"Service Regulations"** means the Himachal Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010;
- (z) **"trust"** means the trust of Himachal Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension Fund constituted under sub-regulation (1) of regulation 4;
- (za) **"trustee"** means the trustees of the Himachal Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension Fund constituted under regulation 4;
- (zb) **"Provident Fund"** means the provident fund of the Bank.
- (2) All other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act or the Himachal Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act, or as the case may be, the Himachal Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010.

CHAPTER II

APPLICATION AND ELIGIBILITY

- (1) **Application.**— (1) These regulations shall apply to any employee who -
- (a) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 but had retired on or before 31 March, 2010 who exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become a member of the Fund and refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days, the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund; or
 - (b) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 who continue to be in the service of the Bank on or after the notified date and exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become member of the Fund and cause to transfer the entire contribution of the Bank along with the interest accrued thereon, to the credit of the Fund constituted under regulation 4; or
 - (c) was in the service of the Bank between the 1st day of September, 1987 and 31st March 2010 and continued in service on or after effective date but retired before the notified date, if he exercises an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become member of the Fund and refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund:
- Provided that the family of the employee who –
- (i) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 but died on or before 31st March, 2010; or
 - (ii) joined the service between 1st September, 1987 and 31 March, 2010 and died before the effective date; or
 - (iii) joined the service of the Bank between 1st September 1987 and 31 March 2010 and continued in service on or after the effective date but had died before one hundred twenty days after the notified date without the employee exercising an option in writing to become member of the Fund, shall be entitled to family pension under these regulations, if the family of such deceased employee exercises an option in writing within one hundred and twenty days from the date of the death of the employee or the expiry of one hundred and twenty days from the notified date, whichever is later, to become member of the Fund and refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days the entire final amounts received by the family (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest

accrued thereon till the date of receipt of the amount by the family) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund.

- (2) An employee or family of the deceased employee not exercising the option under sub-regulation (1) or who, after exercising the option, not refunding the amount shall be deemed not interested in becoming a member of the Fund and shall continue to be governed under the Employees' Pension Scheme, 1995.
- (3) Notwithstanding anything contained in this regulation, any employee who joined the service of the Bank on or after the 1st April, 2010 shall have an option either to be covered by the National Pension System or to continue to be governed under the Employees' Pension Scheme, 1995.
- (4) Notwithstanding anything contained in this regulation, any employee who join the service of the Bank on or after the 1st April, 2018 shall be covered by the National Pension System.

CHAPTER III THE FUND

4. Constitution of the Fund.—

- (1) The Bank shall constitute a Fund to be called the "HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK (Employees') Pension Fund" under an irrevocable trust within one hundred twenty days from the notified date.
- (2) The Fund shall have for its sole purpose the provision of the payment of pension or family pension in accordance with these regulations to the employee or his family.
- (3) The Bank shall be a contributor to the Fund and shall ensure that sufficient sums are placed in it to enable the trustees to make due payments to beneficiaries under these regulations.

5. Liability of the Bank.—

- (1) (a) The Bank, shall, after constitution of the Fund under regulation 4, cause to transfer to the HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK (Employees') Pension Fund, the accumulated balance of the contribution of the Bank towards pension under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of the eligible serving employee opting to become a member of the Fund under regulation 3.
(b) The Bank shall, after constitution of the Provident Fund under the Act, transfer to that Fund, the accumulated balance of the contribution of the employee towards provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of eligible serving employee opting to become a member of the Fund under regulation 3.
- (2) The retired employee or the family of the deceased employee opting for Fund under sub-regulation (1) of regulation 3, shall continue to receive the amount of pension component under the Employees' Pension Scheme, 1995 and the balance of the pension payable under these regulations shall be paid out of the Fund.

6. Composition of the Fund.—

The Fund shall consist of the following, namely: -

- (a) contribution by the Bank based on actuarial assessment of initial gap between assets and liabilities of the Fund;
- (b) the contribution by the Bank at the rate of ten per cent per month of the payof the employee;
- (c) the accumulated contributions of the Bank towards pension and provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of transfer to the Fund in respect of an eligible serving employee;
- (d) the amount consisting of the provident fund contribution of the Bank under the Employees' Pension Scheme, 1995 refunded by the eligible retired employees;
- (e) the investment in annuities or securities purchased out of the moneys of the Fund and interest thereon;
- (f) amount of any capital gains arising from the capital assets of the Fund;
- (g) the additional annual contribution made by the Bank in accordance with the provisions contained in regulation 10;
- (h) any income from investments of the amounts credited to the Fund;
- (i) the amount consisting of provident fund contribution of the Bank under the Employees' Pension Scheme, 1995 refunded by the family of the eligible deceased employee.

7. Board of trustees.—

- (1) The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Fund shall vest in the board of trustees, which shall exercise all powers and do all acts and things which may be necessary for the payment of pension or family pension under these regulations.
- (2) The board of trustees shall consist of such number of persons not less than three and not more than five, as may be determined by the Board, to be appointed by the Bank.
- (3) The power to appoint the trustees shall be vested with the Bank and all such appointments shall be made in writing.
- (4) The Bank shall nominate one of the trustees to be the Chairman of the board of trustees.
- (5) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may reappoint a trustee who has already completed his term:

Provided that no trustee shall be appointed for more than two terms.

8. Trustees to carry out directions of the Board.—

In the discharge of its powers and functions under regulation 7, the board of trustees shall be guided by such directions as may be given by the Board to it, from time to time:

Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective thereof.

9. Books of accounts of the Fund.—

- (1) The accounts of the Fund shall contain the particulars of all financial transactions relating to the Fund in such form as may be specified by the Bank.
- (2) Within sixty days from the date of furnishing of the balance sheet of the Bank, the trust shall prepare a financial statement of the trust indicating therein the general account of assets and liabilities of the trust and forward a copy of the same to the Bank.
- (3) The accounts of the Fund shall be audited in accordance with the provisions of section 19 of the Act.

10. Actuarial investigation of the Fund.—

The Bank shall cause an investigation to be made by an actuary into the financial condition of the Fund every financial year on the 31st day of March, and make such additional annual contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under these regulations:

Provided that the Bank shall cause an investigation to be made by an actuary into the financial condition of the Fund as on the 31st day of March immediately following the financial year in which the Fund is constituted.

11. Investment of the Fund.—

All moneys contributed to the Fund or received or accruing by way of interest or otherwise to the Fund, may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a current account or in a savings account with any scheduled bank or utilised in making payment of pensionary benefits in accordance with these regulations and to the extent such moneys as are not so deposited or utilised shall be invested in the Government securities, debt instruments, short term debt instruments, equities and related investments, asset backed trust structured and miscellaneous investments.

12. Payment out of the fund.—

The trust shall, subject to the other provisions of these regulations, be administered for grant of pensionary benefits to the eligible retired employees of the Bank or the family pension to the families of the deceased eligible employees of the Bank.

CHAPTER IV**QUALIFYING SERVICE FOR PENSION****13. Qualifying service for pension.—**

Subject to the other provisions of these regulations, an employee who has rendered a minimum of ten years of service in the Bank shall qualify for pension.

14. Commencement of qualifying service.—

Subject to the provisions contained in these regulations, qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed on a regular basis and service on probation shall be counted if followed by confirmation in the post.

15. Counting of periods spent on leave.—

All leave during service in the Bank for which leave salary is payable shall count as qualifying service:

Provided that extraordinary leave on loss of pay shall not count as qualifying service except when the authority sanctioning the leave has directed that such leave not exceeding twelve months' during the entire service, may count as service for all purposes including pension.

16. Broken period of service of less than one year.—

If the period of service of an employee includes broken period of service of less than one year but more than six months, it shall be treated as one year and if such broken period is six months or less, it shall be ignored:

Provided that the provisions of this regulation shall not apply for determining the minimum qualifying service required for pension.

17. Counting of period spent on training.—

Period spent by an employee on training in the Bank immediately after his appointment shall count for qualifying service.

18. Counting of past service in the erstwhile bank.—

The service rendered by the employee, on regular basis in any other bank shall also be counted for qualifying service on amalgamation of that bank with the Bank:

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to any such employee who is appointed on contract basis or on daily wage basis or on consolidated wages.

19. Period of suspension.—

(1) Period of suspension of an employee pending inquiry shall count for qualifying service, where on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or the suspension is held to be wholly unjustified.

(2) In all other cases, the period of suspension shall not count as qualifying service unless the competent authority passing the orders under the service regulations governing such case expressly declare at the time that it shall count to such extent as such authority may declare.

20. Forfeiture of service.—

(1) Resignation not amounting to voluntary retirement or dismissal or removal or termination of an employee from the service of the Bank shall entail for forfeiture of his entire past service and consequently shall not qualify for pension under these regulations.

(2) An interruption in the service of an employee entails forfeiture of his past service, except in the following cases, namely: -

(a) authorised leave of absence;

(b) suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the employee dies or is permitted to retire or is retired under the provisions of the Service Regulations while under suspension.

21. Interruption in services due to participation in strike.—

An Interruption in service of employee due to participation in strike shall not be counted for qualifying service for pension during such interruption unless such interruption is condoned by the competent authority:

Provided that before making an entry in the service record of the Bank employee regarding such interruption in service because of his participation in strike, an opportunity of representation may be given to the employee.

22. Military service.—

An employee who has rendered military service before appointment in the Bank shall continue to draw the military pension, if any, but military service rendered by the employee shall not count as qualifying service for pension under these regulations.

23. Period of deputation to an organisation in India.—

Period of deputation of an employee to another organisation in India will count for qualifying service provided the organisation to which he is deputed or the employee, pays the pensionary contributions at the rates specified under these regulations or at the rates specified by the Bank at the time of deputation, whichever is higher, to the Bank.

24. Addition to qualifying service in special circumstances.—

An employee shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension specified in regulation 26, the actual period not exceeding one fourth of the length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded the upper age limit specified by the Bank for direct recruitment or a period of five years, whichever is less, if the service or post to which the employee is appointed is one –

- (a) for which post-graduate research, or specialist qualification or experience in scientific, technological, or professional fields, is essential;
- (b) to which candidates of age exceeding the upper age limit specified for direct recruitment are normally recruited; and
- (c) for which the candidate was given age relaxation over and above the maximum age limit fixed by the Bank on account of his possessing higher qualifications or experience:

Provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service at the time of his superannuation is not less than ten years.

25. Counting of service rendered on permanent part-time basis.—

- (1) In case of an employee who was employed on a permanent part-time basis in the service of the Bank in accordance with the erstwhile rules of appointment applicable to him and was contributing to the Employees' Provident Fund, the service rendered by him on a permanent part-time basis from the date of such contribution, shall be counted as qualifying service.
- (2) For the purpose of calculating the amount of pension in respect of a permanent part-time employee, the length of qualifying service shall be determined in accordance with Form IV.
- (3) For the purpose of calculating the amount of pension under this regulation, the actual service rendered shall be taken as qualifying service and in such cases the actual pay drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of average emoluments.

CHAPTER V**CLASSES OF PENSION****26. Superannuation pension.—**

Superannuation pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of superannuation.

27. Pension on voluntary retirement.—

- (1) On or after the effective date, at any time after an employee has completed twenty years of qualifying service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service:

Provided that this sub-regulation shall not apply to an employee who seeks retirement from service for being absorbed permanently in an autonomous body or a public sector undertaking or a company or institution or body, whether incorporated or not, to which he is on deputation, at the time of seeking voluntary retirement.

- (2) The notice of voluntary retirement given under sub-regulation (1) shall require acceptance by the appointing authority:

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

- (3) (a) An employee referred to in sub-regulation (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons thereof.

- (b) On receipt of a request under clause (a), the appointing authority may, subject to the provisions of sub-regulation (2), consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the employee shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months.
- (4) An employee, who has elected to retire under this regulation and has given necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for such withdrawal shall be made before the intended date of his retirement.

- (5) The qualifying service of an employee retiring voluntarily under this regulation shall be increased by a period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by such employee shall not in any case exceed thirty-three years and it does not take him beyond the date of superannuation:

Provided that the increase in his qualifying service, shall not entitle him to any notional fixation of pay for the purpose of calculating his pension.

28. Invalid pension.—

- (1) Invalid pension may be granted to an employee who, -
- (a) has rendered minimum ten years of service; and
 - (b) retires from the service on or after the effective date on account of any bodily or mental infirmity, which permanently, incapacitates him for the service.
- (2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from a medical officer approved by the Bank.
- (3) Where the medical officer approved by the Bank has declared the employee fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he may, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.
- (4) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the competent authority is aware of the intention of the applicant to appear before the medical officer approved by the Bank.
- (5) The medical officer approved by the Bank shall also be supplied by the competent authority in which the applicant is employed, with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant.

29. Compassionate allowance.—

- (1) An employee, who is dismissed or removed or terminated from service, shall forfeit his pension:
- Provided that the authority higher than the authority competent to dismiss or remove or terminate him from service may, if -
- (i) such dismissal, removal, or termination is on or after the effective date; and
 - (ii) the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of the pension which would have been admissible to him on the basis of the qualifying service rendered upto the date of his dismissal, removal, or termination.
- (2) The compassionate allowance sanctioned under the proviso to sub-regulation (1) shall not be less than the amount of minimum pension payable under regulation 34.

30. Premature retirement pension.—

Premature retirement pension may be granted to an employee who, -

- (a) has rendered minimum ten years of service; and
- (b) retires from service on account of orders of the Bank to retire prematurely in the public interest or for any other reason to be recorded in writing, if otherwise he was entitled to such pension on superannuation, on that date.

31. Compulsory retirement pension.—

An employee compulsorily retired from service as a penalty, on or after the effective date, in terms of the Service Regulations, may be granted by the authority higher than the authority competent to impose such penalty, pension at a rate not less than two-thirds and not more than full pension admissible to him on the date of his compulsory retirement, if otherwise he was entitled to such pension on superannuation, on that date:

Provided that where the pension awarded under this regulation is less than the full pension admissible under these regulations, the Board of Directors shall be consulted before such order is passed.

32. Payment of pension or family pension in respect of certain employees.—

- (1) An employee who was in service between 1st day of September, 1987 and 31st day of March 2010 and retired from the service of the Bank before 31st day of March, 2018 shall, subject to the provisions of these regulations, be eligible for payment of pension from the effective date.
- (2) The family of a deceased employee, who was in service between the 1st day of September, 1987 and 31st day of March 2010 and died before the 31st day of March, 2018 shall, subject to the provisions of these regulations, be eligible for payment of family pension from the effective date.

CHAPTER VI**RATE OF PENSION****33. Amount of pension.—**

- (1) In case of an employee who retired between the 1st day of September, 1987 and 31st day of October, 1987, the basic pension and additional pension wherever applicable, shall be upgraded as per the formula specified in Form-I.
- (2) In the case of an employee retiring after completing a qualifying service of not less than thirty-three years, the amount of basic pension shall be calculated at fifty per cent of the average emoluments.
- (3) (a) Additional pension referred to in sub-regulation (1) shall be fifty per cent of the average amount of the allowance drawn by an employee during the last ten months of his service.
(b) No dearness relief shall be paid on the amount of additional pension.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, "allowance" means allowance which are admissible to the extent counted for making contributions to the Provident Fund.

- (4) Pension, as computed, being aggregate of pension and additional pension, shall be subject to the minimum pension as specified in regulation 34.
- (5) An employee who has commuted the admissible portion of his pension as per the provisions of regulation 39, shall receive only the balance of pension, monthly.
- (6) (a) In the case of an employee retiring before completing a qualifying service of thirty-three years, but after completing a qualifying service of ten years, the amount of pension shall be proportionate to the amount of pension and additional pension admissible under sub-regulations (2) and (3) and in no case the amount of pension shall be less than the amount of minimum pension specified in these regulations.
(b) Notwithstanding anything contained in these regulations, the amount of invalid pension shall not be less than the ordinary rate of family pension which would have been payable to his family in the event of his death while in service.
- (7) The amount of pension finally determined under these regulations shall be expressed in whole rupee and where the pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee.

34. Minimum pension.—

The amount of minimum pension shall be,-

- (a) three hundred and seventy-five rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, where the employee had retired before the 1st day of November, 1992 (in case of employees other than officers) or before the 1st day of July, 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in the case of a permanent part-time employee who retired before the 1st day of November, 1992;

- (b) seven hundred and twenty rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, where the employee had retired on or after the 1st day of November, 1992 (in case of employees other than officers) or on or after 1st day of July 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in the case of a permanent part-time employee who had retired on or after the 1st day of November, 1992;
- (c) one thousand and sixty rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, who retired on or after 1st April, 1998 but before 31st October, 2002 and three hundred and fifty-five rupees in respect of such employee drawing one third of scale wages, five hundred and thirty rupees in respect of such employee drawing one half of scale wages and seven hundred and ninety-five rupees in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after 1st day of April, 1998;
- (d) one thousand four hundred and thirty-five rupees per month in respect of an employee, other than permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st November, 2002 and four hundred and eighty rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, seven hundred and twenty rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and one thousand and eighty rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of May, 2005;
- (e) one thousand seven hundred and seventy-nine rupees per month in respect of an employee, other than a permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st day of November, 2007 and five hundred and ninety-five rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, eight hundred and ninety-two rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and one thousand three hundred and thirty-nine rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2007;
- (f) two thousand seven hundred and eighty-five rupees per month in respect of an employee, other than a permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st day of November, 2012 and nine hundred and thirty-two rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, one thousand three hundred and ninety-seven rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and two thousand and ninety-six rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2012.

35. Dearness relief.—

- (1) Dearness relief shall be granted on basic pension or family pension or invalid pension or on compassionate allowance in accordance with the rates specified in Form II.
- (2) Dearness relief shall be allowed on full basic pension even after commutation.

36. Determination of the period of ten months for average emoluments.—

- (1) The period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date of retirement.
- (2) In the case of voluntary retirement or premature retirement, the period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee voluntarily retires or is prematurely retired by the Bank in public interest or for any other reasons to be recorded in writing.
- (3) In the case of dismissal or removal or compulsory retirement or termination of service, the period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee is dismissed or removed or compulsorily retired or terminated by the Bank.
- (4) If during the last ten months of the service, an employee had been absent from duty on extraordinary leave on loss of pay or had been under suspension and the period whereof does not count as service, the aforesaid period of extraordinary leave or suspension shall not be taken into account in the calculation of the average emoluments and equal period before the ten months shall be included.

**CHAPTER VII
FAMILY PENSION**

37. Family pension.—

- (1) Notwithstanding the provisions contained in regulation 13, where an employee dies—

- (a) after completion of one year of continuous service; or
- (b) before completion of one year of continuous service, provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by a medical officer approved by the Bank and declared fit for employment in the Bank; or
- (c) after retirement from service and was on the date of his death, in receipt of a pension, or compassionate allowance,

the family of the deceased shall be entitled to family pension, the amount of which shall be determined in accordance with Form III:

Provided that in respect of an employee who was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1987 or retired on or before 31st day of October, 1987 but died later, the family of the deceased shall, subject to exercising the option to become a member of the Fund under these regulations and refunding the amount in accordance with regulation 3, shall, subject to other provisions of these regulations, be entitled to additional family pension, the amount of which shall be determined in accordance with Form V.

- (2) The amount of pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee:

Provided that in no case a pension in excess of the maximum prescribed under these regulations shall be allowed.

- (3) (a) Where an employee, who is not governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923),—
 - (i) dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or twice the family pension admissible under sub-regulation (1), whichever is less, and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of seven years or for a period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of sixty-five years had he survived, whichever is less; and
 - (ii) dies after retirement, the family pension as determined under sub-clause (i) shall be payable for a period of seven years or for a period upto the date on which the retired deceased employee would have attained the age of sixty-five years had he survived, whichever is less:

Provided that in no case the amount of family pension determined under sub-clauses (i) and (ii) shall exceed the pension payable on retirement of such employee from the Bank.

(b) Where an employee, who is governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or one and half times the family pension admissible under sub-regulation (1), whichever is less and the pension so determined shall be payable for a period of seven years or for a period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of sixty-five years had he survived, whichever is less.

(c) After the expiry of the period referred to in clauses (a) and (b), the family, in receipt of family pension under these clauses shall be entitled to family pension at the rate admissible under sub-regulation (1).

38. Payment of family pension.—

- (1) The period for which family pension is payable shall be,-

(a) in case of a childless widow, for life or till her independent income from all sources become equal to two thousand five hundred and fifty rupees or more;

(b) in the case of a widow with children or a widower, upto the date of death or remarriage, whichever is earlier;

(c) in the case of a son or daughter (including widowed or divorced daughter), till such son or daughter attains the age of twenty-five years or upto the date of marriage of the son or daughter or remarriage of the daughter, whichever is earlier:

Provided that the family pension payable to the son or daughter (including widowed or divorced daughter) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of two thousand five hundred and fifty rupees per month from any source:

Provided further that an unmarried, widowed or divorced daughter who is not married or remarried even after the age of twenty-five years shall be eligible for family pension if there is no other family member or if her income from any source exceeds two thousand five hundred fifty per month.

- (d) in the case of an unmarried son or daughter of an employee suffering from any disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to condition that there is no other eligible family member:

Provided that -

- (i) if such son or daughter is one among two or more living children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in sub-regulation (3) until the last minor child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;
- (ii) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible and if the family pension is payable to twin children, it shall be paid in the manner set out in sub-regulation 4;
- (iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of a physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;
- (iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the competent authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;
- (v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years, a certificate from a medical officer approved by the Bank, to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled;
- (vi) if such son or daughter starts earning a sum in excess of two thousand five hundred and fifty rupees per month and in such cases, it shall be the duty of the guardian or the son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that he or she has not started earning his or her livelihood or in case of daughter, that she has not yet married;
- (e) in the case of parents, the family pension payable shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from any source exceeds two thousand five hundred and fifty rupees per month:

Provided that the family pension shall be payable first to the mother and after her death, to the father.

- (2) If a deceased employee or a pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child or failing which, to the eligible parents.
- (3) Family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them shall not be eligible for family pension unless the elder next above him or her has become ineligible for the grant of family pension.
- (4) Where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares:

Provided that where one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and where both of them cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children, as the case may be.

- (5) Where family pension is granted under this regulation to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.
- (6) In case both wife and husband are employees of the Bank and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the surviving husband or wife and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents, subject to the limits specified below, namely:-

- (a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) and clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 37, the amount of both pension shall be limited to-
- (i) two thousand five hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992;
 - (ii) four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died after the 1st day of November, 1992 (in the case of employee other than officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer); and
 - (iii) six thousand seven hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of April, 1998;
 - (iv) nine thousand five hundred and sixty-five rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of May, 2005;
 - (v) eleven thousand eight hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of November 2007;
- (b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rates mentioned in sub clause (i) of clause (a) or clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 37 and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 37 becomes payable, the amount of both the pension shall also be limited to-
- (i) two thousand five hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or prior to 1st day of July, 1993 (in the case of an officer);
 - (ii) four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in case of an employee other than an officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer); and
 - (iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of April, 1998:
 - (iv) nine thousand five hundred and sixty-five rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of May, 2005;
 - (v) eleven thousand eight hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of November, 2007;
- (c) if both the family pensions are payable at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 37, amount of the two pensions shall be limited to-
- (i) one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or 1st day of July, 1993(in the case of an officer);
 - (ii) two thousand four hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer); and
 - (iii) three thousand three hundred and seventy-eight rupees in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of April, 1998;
 - (iv) four thousand seven hundred and eighty-three rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of May, 2005;
 - (v) five thousand nine hundred and twenty-eight rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of November, 2007.
- (d) (i) Where family pension is payable to more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares.
- (ii) On the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child:
Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

- (iii) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee or pensioner:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

- (iv) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from a divorced wife or wives, such eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of death of the employee or pensioner had she not been so divorced:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

- (7) Where an employee dies leaving behind a judicially separated spouse with no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving if such spouse is not remarried:

Provided that where the judicial separation is granted on the ground of adultery and the death of the employee takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

- (8) (a) Where an employee dies leaving behind a judicially separated spouse with a child or children, the family pension payable in respect of the deceased shall be payable to the surviving spouse provided he or she is the guardian of such child or children.

- (b) Where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children.

- (9) If the son or unmarried daughter eligible for the grant of family pension has attained the age of eighteen years, the family pension may be paid to such son or unmarried daughter directly.

- (10) (a) If a person who, in the event of death of an employee while in service, is eligible to receive family pension under these regulations, is charged with the offence of murdering the employee or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person, including other eligible member or members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceeding instituted against him.

- (b) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (a), the person concerned,—

- (i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the employee, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be payable to the other eligible member of the family, from the date of death of the employee;

- (ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the employee, the family pension shall be payable to such a person from the date of death of the employee.

- (c) The provisions of sub-clauses (a) and (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of an employee after his retirement.

CHAPTER VIII COMMUTATION

39. Commutation.—

- (1) An employee shall be entitled to commute for a lump sum payment of a fraction not exceeding one-third of his pension:

Provided that in respect of an employee who was in service before the effective date but died after his retirement before the notified date, the family of such employee shall also be entitled to commute for a lump sum payment a fraction not exceeding one-third of the pension admissible to the employee.

- (2) An employee shall indicate the fraction of pension, which he desires to commute, and may either indicate the maximum limit of one-third pension or such lower limit, as he may desire to commute.
- (3) If fraction of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation.
- (4) The lump sum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the Table given below:

TABLE**Commutation values for a pension of one rupee per annum**

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
(1)	(2)	(3)	(4)
17	19.28	35	16.92
18	19.20	36	16.72
19	19.11	37	16.52
20	19.01	38	16.31
21	18.91	39	16.09
22	18.81	40	15.87
23	18.70	41	15.64
24	18.59	42	15.40
25	18.47	43	15.15
26	18.34	44	14.90
27	18.21	45	14.64
28	18.07	46	14.37
29	17.93	47	14.10
30	17.78	48	13.82
31	17.62	49	13.54
32	17.46	50	13.25
33	17.29	51	12.95
34	17.11	52	12.66
53	12.35	69	7.22
54	12.05	70	6.91
55	11.73	71	6.60
56	11.42	72	6.30
57	11.10	73	6.01
58	10.78	74	5.72
59	10.46	75	5.44
60	10.13	76	5.17
61	9.81	77	4.90
62	9.48	78	4.65

63	9.15	79	4.40
64	8.82	80	4.17
65	8.50	81	3.94
66	8.17	82	3.72
67	7.85	83	3.52
68	7.53	84	3.32
		85	3.13

Notes:

1. The table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday.
2. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 10.46 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs.100 X 10.46 X 12 = Rs. 12,552.
- (5) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.
- (6) An applicant who is authorised a superannuation pension, voluntary retirement pension, premature retirement pension, compulsory retirement pension, invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations:

Provided that on and from 1st July, 2003, an applicant in whose case the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of retirement or from the date from which commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception and where payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute, the difference between the normal monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date on which commutation becomes absolute and the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid.

- (7) In the case of a pensioner eligible for superannuation pension or pension on voluntary retirement or premature retirement pension, no medical examination shall be necessary if the application for commutation is made within one year from the date of retirement and where such a pensioner applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement, the same will be permitted subject to medical examination:

Provided that in the case of an applicant who is in receipt of a provisional pension under regulation 44 and for whom pension in whole or in part on the finalisation of the departmental or judicial proceedings has been authorised, the period of one year referred to in this sub-regulation shall reckon from the date of issue of the orders consequent upon the finalisation of the departmental or judicial proceedings.

- (8) An applicant who -
 - (i) retires on invalid pension under regulation 28; or
 - (ii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 29; or
 - (iii) is compulsorily retired by the Bank and is eligible for compulsory retirement pension under regulation 31,
 shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in sub-regulation (1), after he has been declared fit by a medical officer approved by the Bank.
- (9) The commutation of pension shall be become absolute in the case of an employee-
 - (i) retiring on superannuation or on voluntary retirement who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date of retirement:

Provided that the employee governed by sub-regulation (3) of regulation 27 shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months and the commutation of pension shall become absolute only on the expiry of the period of notice referred to in sub-regulation (1) of regulation 27;

- (ii) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applied for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the competent authority;
- (iii) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of the medical certificate given by medical officer approved by the Bank;
- (iv) who was in service between 1st September, 1987 and 31st March, 2010 and retired on or before 31st March, 2018 and who opts to become a member of the Fund under these regulations, on the 1st day of April, 2018, where the application of commutation is made in Form VI within one year from the date of retirement and Form VII and Form VIII in all other cases, within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3;
- (v) who was in the service of the bank on or after the 1st day of April, 2018, but who retired prior to the publication of these regulations, on the day immediately following the date of his retirement, where the application is made in Form VI within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3;
- (vi) who retired on or after the 1st day of April, 2018, but died prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application for commutation is made within one year from the date of his death by the family of the deceased in Form VI, within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3;
- (vii) in respect of whom invalid pension under regulation 28 or compassionate allowance under regulation 29 or compulsory retirement pension under regulation 31 is admissible commutation shall become absolute on the date of the medical certificate given by medical officer approved by Bank.

CHAPTER IX

GENERAL CONDITIONS

40. Pension subject to future good conduct.—

Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these regulations.

41. Withholding or withdrawal of pension.—

The competent authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or criminal breach of trust or forgery or acting fraudulently or is found guilty of grave misconduct:

Provided that where part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the minimum pension per mensem payable under these regulations.

42. Conviction by court.—

Where a pensioner is convicted of a serious crime by a court, action shall be taken in the light of the judgment of the court relating to such conviction.

43. Pensioner guilty of grave misconduct.—

In a case not falling under regulation 42, if the competent authority considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, it shall, before passing an order, follow the procedure specified in the Service Regulations.

44. Provisional pension.—

- (1) An employee who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued, a provisional pension, equal to the maximum pension which would have been admissible to him, would be allowed

subject to adjustment against final retirement benefits sanctioned to him, upon conclusion of the proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld, either permanently or for a specified period.

- (2) In cases referred to in sub-regulation (1), the gratuity shall be paid to the employee and only on conclusion of the proceedings and any recoveries to be made from an employee shall be adjusted against the amount of gratuity payable.

Explanation - in this Chapter,-

- (a) "serious crime" includes a crime involving an offence under the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);
- (b) "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret official code or password or any sketch, plan, model, article, note, documents or information, such as is mentioned in section 5 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) which was obtained while holding office in the Bank so as to prejudicially affect the interests of the general public or the security of the State;
- (c) "fraud" shall have the meaning assigned to it under section 25 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);
- (d) "criminal breach of trust" shall have the meaning assigned to it under section 405 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);
- (e) "forgery" shall have the meaning assigned to it under section 463 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

45. Commutation of pension during departmental or judicial proceedings.—

An employee against whom departmental or judicial proceedings have been instituted before the date of his retirement shall not be eligible to commute a fraction of his provisional pension under these regulations during the pendency of such proceedings.

46. Recovery of pecuniary loss caused to the Bank.—

- (1) The competent authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or acts done fraudulently during the period of his service:

Provided that before passing any final orders under this sub-regulation, the Board shall be consulted:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations:

Provided also that departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be the proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued service.

- (2) No departmental proceedings shall be initiated in respect of an event if more than four years time lapsed after the event:

Provided that the disciplinary proceedings initiated under this sub-regulation shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

- (3) Where the competent authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one third of the pension admissible on the date of retirement of the employee.

47. Recovery of Bank's dues.—

The Bank shall be entitled to recover the dues to the Bank on account of housing loans, advances license fees, other recoveries and recoveries due to staff co-operative credit society from the commutation value of the pension or the pension or the family pension.

48. Commercial employment after retirement.—

- (1) A pensioner who immediately before his retirement was holding the post of an officer who wishes to accept any commercial employment before the expiry of one year from the date of his retirement, shall obtain the previous sanction of the Bank before such acceptance and subject to the provision of sub-regulation (2), the Bank may, by order in writing, grant permission subject to such conditions as it may deem necessary or refuse permission, for reasons to be recorded in writing.

- (2) In granting or refusing permission under sub-regulation (1) to a pensioner for taking up any commercial employment, the Bank shall have regard to the following factors, namely:-
- (a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;
 - (b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Bank;
 - (c) whether the pensioner while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such pensioner had shown favours to such employer;
 - (d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contract work with Bank;
 - (e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under Bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;
 - (f) the emoluments offered by the proposed employer; and
 - (g) any other relevant factor.
- (3) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the Bank does not communicate the grant or refusal of permission to the applicant, the applicant shall be deemed to have been granted the permission:
- Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the Bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.
- (4) Where the Bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Bank may make such orders thereon as it deems fit:
- Provided that no order shall be made under this sub-regulation without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.
- (5) If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of one year from the date of his retirement without the prior permission of the Bank or commits a breach of any condition for such permission, it shall be competent for the Bank to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such periods as may be specified in the order:
- Provided that no such order shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of show cause against the order proposed to be made:
- Provided further that in making any order under this sub-regulation, the Bank shall have regard to the following factors, namely:-
- (i) the financial circumstances of the pensioner concerned;
 - (ii) the nature of, and the emoluments from, the commercial employment taken up by the pensioner concerned, and;
 - (iii) any other relevant factor.
- (6) Every order passed by the Bank under this regulation shall be communicated to the pensioner concerned.
- (7) In this regulation, the expression "commercial employment" means—
- (i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company), and partnership of such firm but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;
 - (ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as advisor or consultant in matters in respect of which the pensioner -

- (A) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or
- (B) has professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or
- (C) has to undertake work involving liaisons or contact with the offices or officers of the Bank.

Explanation.- For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

49. Nomination.—

- (1) The trust shall allow every employee governed by these regulations to make a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount of pension benefits under these regulations in the event of his death before that amount becomes payable or, having become payable, has not been paid and such nomination shall be made in such form as may be specified by the Bank from time to time.
- (2) If any employee nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall, in his nomination, specify the amount or share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount of the pension benefits that may be payable in the event of his death.
- (3) A nomination made by an employee may, at any time, be modified or revoked by him after giving a written notice to the trust of his intention of doing so in such form as the Bank may from time to time specify.
- (4) A nomination or its revocation or its modification shall take effect to the extent it is valid on the date on which it is revised by the trust.

50. Date from which pension becomes payable.—

- (1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 41 and regulation 44 apply, pension other than the family pension shall become payable from the effective date or, as the case may be, from the date following the date of retirement, whichever is later, if the employee has exercised his option to become a member of the Fund and refunded the entire amount of Bank's contribution within the time stipulated under these regulations.
- (2) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 41 and regulation 44 apply, family pension shall become payable from the effective date or, as the case may be, from the date following the date of death of the employee, whichever is later, if the family of the deceased employee has exercised the option to become member of the Fund and refunded the entire amount of Bank's contribution within the time stipulated under these regulations.

51. Currency in which pension is payable.—

All pension admissible under these regulations shall be payable in rupees in India only.

52. Manner of payment of pension.—

A pension fixed at a monthly rate shall be payable monthly on or after the first day of the following month.

53. Power to issue instructions.—

The Chairman of the Bank, with the approval of the Board may from time to time issue instructions, as may be considered necessary or expedient for the implementation of these regulations.

54. Residuary provisions.—

In case of doubt, in the matter of application of these regulations, regard may be had to the corresponding provisions of Central Civil Services Rules, 1972 or Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 applicable for Central Government employees with such exceptions and modifications as the Bank, after consultation with Punjab National Bank being the Sponsor Bank and the National Bank and with the previous sanction of the Central Government, may from time to time, determine.

Form – I

[See regulation 33(1)]

UPDATION OF BASIC PENSION AND ADDITIONAL PENSION

1. The formula of updating basic pension and additional pension in respect of employees who retired during the period between 1st day of September, 1987 and 31st October, 1987 shall be as under:

(A) (a) 50 per cent of first Rs.1000 of the average emoluments reckonable for pension Rs.-----

(b) 45 per cent of next Rs.500 Rs.-----

(c) 40 per cent of the average emoluments reckonable for pension exceeding Rs.1500 Rs.-----

Total (a+b+c) Rs.-----

(B) 50 per cent of the average monthly emoluments for the last 10 months in service prior to retirement Rs.-----

(C) Dearness Relief at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, on basic pension calculated at (A) above, Rs.-----

(D) Total basic pension =
(B) + (C) X Number of years of qualifying service (Maximum 33 years) Rs.-----

33

(E) Basic pension as on 1.4. 2018 (Rounded off to the next higher rupee) Rs.-----

2. Special allowances to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund corresponding to the special allowances drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of additional pension.

3. Rates of dearness relief worked out at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 for all classes of employees who retired during the period between 1st day of September, 1987 and 31st October, 1987:

(a) Employees in subordinate staff cadre : 80.40 per cent of pension calculated at 1(A) above.

Employees in clerical staff cadre
(b) drawing pension up to Rs.756 per month : 67 per cent of pension calculated at 1(A) above.

(c) Employees in clerical staff cadre drawing pension of Rs.757 per month and above will be eligible for dearness relief as under:

TABLE

Sl. No.	Amount of basic pension drawn (Rs.)		The amount of dearness relief per month admissible (Rs.)
(1)	(2)		(3)
1.	757-796		508.00
2.	797-804		534.00
3.	805-824		540.00
4.	825-844		553.00
5.	845-864		567.00
6.	865-884		580.00
7.	885-904		593.00
8.	905-924		607.00
9.	925-944		620.00
10.	945-964		634.00
11.	965-984		647.00
12.	985-1004		660.00
13.	1005-1024		674.00
14.	1025-1044		687.00
15.	1045-1064		701.00
16.	1065-1085		714.00
17.	1058 above		727.00

(d) Employees in officer cadre shall be eligible for dearness relief as under:

TABLE

Sl.No.	(2)		(3)
(1)			
(i)	For those drawing basic pension Up to Rs.765 per month	:	66 per cent of the amount of Pension calculated at 1(A) above subject to a maximum of Rs.500
(ii)	For those drawing basic pension From Rs.766 to Rs.1165 per month	:	Rs.500
(iii)	For those drawing basic pension of Rs.1166 per month or above	:	42.90 per cent of amount of pension calculated as at 1(A) above Subject to a maximum of Rs.715

FORM II

[See regulation 35(1)]

DEARNESS RELIEF ON PENSION

Dearness relief on basic pension shall be as under:

- (1) In the case of employees who retired on or after the 1st day of September, 1987, but before the 1st day of November, 1992 for workmen cadre and before the 1st of July 1993 for officers cadre, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the all India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100 and such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:

TABLE

Sl. No.	Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
(i)	Up to Rs.1250	0.67 per cent.
(ii)	Rs.1251 to Rs. 2000	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs.1250.
(iii)	Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs.2000.
(iv)	Above Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs.2130 & Rs. 2000 Plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.2130.

- (2) In the case of employees in workmen cadre who retired on or after 1st day of November, 1992; and in the case of employees in the officers cadre who retire on or after the 1st day of July 2013 but before the first day of April 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial workers in the series 1960=100 and such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:

TABLE

Sl. No.	Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
(i)	(i) Up to Rs.2400	0.35 per cent.
(ii)	(ii) Rs.2401 to Rs.3850	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs.2400.
(iii)	(iii) Rs.3851 to Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent .of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.3850.
(iv)	(iv) Above Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs.4100 and Rs.3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs.4100.

- (3) In case of employees who retire on or after 1st day of April 1998 but on or before the 31st October 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 and such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :

TABLE

Sl. No.	Scale of Basic Pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
(i)	Upto Rs.3550	0.24 per cent
(ii)	Rs.3551 to Rs.5650	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the basic pension in excess of Rs.3550
(iii)	Rs.5651 to Rs.6010	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs.5650
(iv)	Above Rs.6010	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 per cent difference between Rs.6010 and Rs.5650 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs.6010

- (4) In respect of employees who retire on or after 1st day of November, 2002 but before the 31st October, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, at the rate of 0.18 per cent of basic pension.
- (5) In respect of employees who retire on or after 1st day of November, 2007 but before the 1st day of November 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, at the rate of 0.15 per cent of basic pension.
- (6) In respect of employees who retire on or after 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, at the rate of 0.10 per cent of basic pension.

Note:

1. Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.
2. In the case of family pension, invalid pension, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.
3. Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.
4. Dearness relief is not payable on additional pension.
5. Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.

FORM III

[See regulation 37(1)(c)]

ORDINARY RATES OF FAMILY PENSION

The ordinary rates of family pension shall be as under:

- (a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee retired before 1st day of November, 1992.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Upto Rs.1500	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.375 per month.
Rs.1501 to Rs.3000	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.450 per month.
Above Rs.3000	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.600 per month and not more than Rs.1250 per month.

- (b) In respect of employees other than part-time employees, retired on or after the 1st day of November, 1992 but before the 1st day of November, 1997.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Upto Rs.2870	30 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.
Rs.2871 to Rs.5740	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.
Above Rs.5740	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1150 per month and a maximum of Rs.2400 per month.

- (c) In respect of employees other than part-time employees retiring on or after 1st day of November, 1997 but before the 1st day of November, 2002.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Upto Rs.4210	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1056 per month.
Rs.4211 to Rs.8420	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1262 per month.
Above Rs.8420	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1687 per month and a more than Rs.3521per month.

(d) In respect of employees other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2002 but before the 1st day of November, 2007.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Up to Rs.5720	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1435 per month.
Rs.5721 to Rs.11440	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1715 per month.
Above Rs.11440	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.2292 per month and a more than Rs.4784 per month.

(e) In respect of employees other than part-time employees retiring on or after 1st day of November, 2007 but before the 1st day of November, 2012.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Up to Rs7090	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1779 per month.

Rs.7091 to Rs.14180	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.2186 per month.
Above Rs.14180	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.2841 per month and a more than Rs.5930 per month.

(f) In respect of employees other than part-time employees retiring on or after 1st day of November, 2012.

TABLE

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly family pension (2)
Up to Rs 11100	30 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs. 2785 per month.
Rs. 11101 to Rs.22200	20 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.3422 per month.
Above Rs. 22200	15 per cent of the pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension and the aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.4448 per month and a more than Rs. 9284 per month.

Note:

1. Dearness relief is not payable on additional family pension.
2. Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of 'pay' as defined in sub-clause (t) of regulation 2 and "allowances" as defined in the explanation to sub-regulation (1) of regulation 33.
3. In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.
4. In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension and no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.

FORM IV

[See regulation 25(2)]

QUALIFYING SERVICE FOR PERMANENT PART TIME EMPLOYEES**TABLE**

Sl. No.	Actual service on scale wages rendered on permanent part-time basis in one week	Length of corresponding qualifying service for each year of service rendered on permanent part-time basis for calculating the amount of pension
(1)	(2)	(3)
1.	Six hours or more but up to 13 hours	One third of a year
2.	More than 13 hours but up to 19 hours	One half of a year
3.	More than 19 hours but up to 29 hours	three fourth of a year
4.	More than 29 hours	one year

FORM V

[See regulation 37(1)(c)]

COMPUTATION OF BASIC FAMILY PENSION AND ADDITIONAL FAMILY PENSION

The formula for computing basic family pension and additional family pension in respect of employees who were in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1987 or had retired on or before the 31st day of October, 1987 but died shall be as under:-

(1) Basic Family Pension:

- (A) Pay drawn by the deceased employee at the time of death/retirement **Rs. _____**
- (B) Basic family pension at the ordinary rates as per Table given below **Rs. _____**
- (C) Dearness Relief at index 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 as per Table I given in Appendix- I on the basic family pension calculated at (B) above **Rs. _____**
- (D) Updated basic family pension i.e. (B) + (C) **Rs. _____**
- (E) Updated basic family pension as per (D) above (rounded off to next higher rupee) **Rs. _____**
- (F) Basic family pension at one and half times or twice the updated basic family pension as the case may be of (D) above (rounded off to next higher rupee) **Rs. _____**

(2) Additional Family pension:

Special allowance to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund in terms of the Bipartite Settlement dated 10th April, 1989 or Service Regulations corresponding to the special allowance drawn before the retirement or death shall be reckoned for the purpose of additional family pension.

(3) The basic family pension shall be at the rates given as under:

TABLE

Pay Range	Amount of family pension
(1)	(2)
Below Rs.664	30 per cent of pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of the allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.100 and maximum of Rs.166.
Rs.664 and above but below Rs.1992	15 per cent of pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.166 and maximum of Rs.266.
Rs.1992 and above	12 per cent of pay shall be the basic family pension plus 12 per cent of allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.266 and maximum of Rs.415.

Note:

1. Dearness relief is not payable on additional family pension.
2. In case the aggregate of updated basic family pension and updated additional family pension falls short of Rs.375, the pensioner may be paid Rs.375 with dearness relief thereon in which case no updated additional family pension shall be payable.

Form VI

[See regulation 39 (9)]

Name of the Bank :

Application for Commutation of Pension without Medical Examination

(to be submitted within one year from the date of retirement)

To

Designated Authority

Space for
Affixing
attested
passport size
photograph

Dear Sir,

I retired/will retire from the Bank's service with effect from ----- and have opted for Bank's Pension Scheme. I desire to commute a fraction of my pension in accordance with the Himachal Pradesh Gramin Bank (Employee's) Pension Regulations, 2018. The necessary particulars are furnished below:

Name in full (in block letters) : _____
Designation at the time of

Retirement : _____
 Name of Office/Department from
 which retired : _____
 Date of birth (as per Bank's
 Service Record) : _____
 Date of Retirement : _____
 Class of Pension : _____
 Fraction of Pension proposed
 to be Commuted not exceeding
 1/3rd thereof. : _____

 Signature

Place :

Address: -----

Acknowledgement

Received from Shri/Smt/Kum _____ application for commutation of Pension.

Former Designation

Place :

Date :

 (Signature of Designated Authority)

Form VII

[See regulation 39 (9)]

Name of the Bank :

Application for Commutation of Pension subject to Medical Examination

(to be submitted in duplicated)

PART - I

To

Designated Authority

Space for
 Affixing
 attested
 passport size
 photograph

Dear Sir,

I desire to commute a fraction of my pension in accordance with Himachal Pradesh Gramin Bank (Employee's) Pension Regulations, 2018. An attested copy of my photograph is affixed on the application and an unattested copy is enclosed. The necessary particulars are furnished below:

1. Name in full (in block letters) : _____

2. Designation at the time of retirement : _____
3. Name of Office/Department from which retired : _____
4. Date of birth (as per Bank's Service Record) : _____
5. Date of Retirement : _____
6. Class of Pension : _____
7. Fraction of Pension proposed to be commuted not exceeding 1/3rd thereof : _____
8. Preference for station where medical examination is desired to take place : _____

Place :

Date : _____

Signature

Address : -----

Acknowledgement

Received from Shri/Smt/Kum. _____ application
for commutation of Pension.

(Former Designation)

Place :

Date : _____

(Signature of Designated Authority)

Form VII - PART - II**(To be completed by the Designated Authority)**

1. Name of the Applicant : _____
2. Date of birth (as per Bank's Service Record) : _____
3. Date of Retirement : _____
4. Class of Pension : _____
5. Amount of Pension : _____
6. Amount of Pension desired to be commuted : _____

On the basis of

	Added Years	
Normal Age	-----	
	1 Year	2 Years

Rs.	Rs.	Rs.

- 7.(i) Sum payable if commutation becomes absolute before the applicant's next birthday which falls on _____ : _____
- (ii) Sum payable if commutation becomes absolute after the applicant's next birthday which falls on _____ : _____
8. Number of enclosures, if any (see note below)

Place :

Date :

(Signature of Designated Authority)

Note: The Designated Authority should enclose with the Form, a copy of the receipt or statement of the applicant's case if the applicant has been granted invalid pension or has previously commuted a part of his pension or declined to accept commutation on the basis of an addition of years to actual age, or has been refused (commutation) on medical grounds.

Copy forwarded to Shri/Smt./Kum. _____

(give complete postal address)

with the remarks that subject to the Bank's Medical Officer's recommendation, he/she will, on the basis of the report of the Designated Authority be eligible for the lump sum payment in lieu of the amount of pension to be commuted as follows:-

On the basis of

Added Years		
Normal Age -----	1 Year	2 Years
_____	_____	_____
Rs.	Rs.	Rs.
_____	_____	_____

- (i) Sum payable if commutation becomes absolute before the applicant's next birthday which falls on _____ : _____
- (ii) Sum payable if commutation becomes absolute after the applicant's next birthday which falls on _____ : _____

Note: The Table of the present value, on the basis of which calculation by the Designated Authority has been made, is subject to alteration at any time without notice and consequently the basis is liable to revision before payment is made and the sum payable will be the sum appropriate to the applicant's age on his birthday next after the date on which the commutation becomes absolute or if the medical authority directs that years will be added to that age, to the consequent assumed age.

Acknowledgement

Shri/Smt./Kum. _____ should report for medical examination to the Bank's Medical Officer at Bank's Dispensary between _____ a.m. and _____ p.m. on _____. He/She should take with him/her the enclosed Form No.VIII with the particulars required in Part-1 completed except the signature or thumb impressions.

Place :

Date :

(Signature of Designated Authority)

Form VII - PART III

Name of Bank :

(Draft Letter to Bank's Medical Officer
Referring the pensioner for Medical Examination)

Ref. No.:

Date :

To

Dr. _____

(Bank's Medical Officer)

Sir/Madam,

Medical Examination-Commutation of Pension

Shri /Smt./ Kum. _____ who retired from the service on _____
_____ as _____ (Designation) has applied for commuting a fraction of his/her pension for a lump sum payment. The following documents are forwarded herewith.

- (a) Application in Form No.VII in original.
- (b)* Report or statement of the applicant's case if he has been granted invalid pension or has previously commuted a fraction of his pension or declined to accept commutation on the basis of addition of years to his actual age or has been refused commutation on Medical Grounds.

In terms of regulation _____ of Himachal Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 (commutation of pension), Shri/Smt./Kum. _____ should be examined by a Bank's Medical Officer. It is requested that arrangement may be made to get Shri / Smt. / Kum _____ examined as expeditiously as possible preferably within four weeks.

A copy of this letter is being endorsed to him/her so that he/she may appear for medical examination before you at the earliest.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully

(Designated Authority)

*Strike off whichever not applicable

Form VIII

[See regulation 39(9)]

PART I

Name of Bank -

Space for Affixing attested passport size photograph

**Declaration by the Pensioner for facilitating
Medical Examination by the Bank's Medical Officer.**

The applicant must complete this statement prior to his examination by Bank's Medical Officer and must sign the declaration appended thereto in the presence of Bank's Medical Officer.

1. Name in full (in block letters)
2. Date of birth (as per Bank's Service Record)
3. Particulars regarding Parents.
Father's age, if living and state of health.
Father's age at death and cause of death.
Mother's age, if living and state of health.
Father's age at death and cause of death.
4. Have you been considered for grant of invalid Pension ?
If so, state the ground thereof.
5. Have you been granted leave on Medical certificate during the
Last three years of your service ? if so, state period of leave
and nature of illness.
6. Have you during the last three years period
 - (a) suffered from any major illness requiring hospitalization ?
If so, the nature of illness and period of hospitalization may please be indicated; or
 - (b) undergone any major surgical operation
 - (c) lost or gained weight markedly

Declaration by Applicant

To be signed in presence of the Bank's Medical Officer

I declare all the above answers to be, to the most of my belief, true and correct.

I am fully aware that by wilfully making a false statement or concealing a relevant fact, I shall incur the risk of losing the commutation.

Applicant's signature or thumb- impression in case of illiterate applicant

(Signature of Bank's Medical Officer)

Form VIII - PART II**Medical details of the Pensioner**

(To be filled by the examining Medical Officer)

1. Apparent age
2. Height
3. Weight
4. Describe any scars or identifying

Marks of the applicant

5. Pulse rate-
 - (a) Sitting
 - (b) Standing

What is the character of the pulse ?

6. Blood pressure-
 - (a) Systolic
 - (b) Diastolic
7. Is there any evidence of disease of the main organs -
 - (a) Heart
 - (b) Lungs
 - (c) Liver
 - (d) Spleen
 - (e) Kidney

8. Investigations (wherever considered necessary by the Bank's Medical Officer)
 - (i) Urine (State specific gravity)
 - (ii) Blood
 - (iii) X -ray Chest
 - (iv) E.C.G.
9. Any additional finding

Form VIII - PART III**Certificate of Fitness for Payment of Commutation of pension***(To be filled by the examining Medical Officer)*

I/We have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ and am/are of opinion that-
He /She is in good bodily health and has the prospect of an average duration of life.

OR

He /She is not in good bodily health and is not a fit subject for commutation.

OR

Although he/she is suffering from _____

_____ he/she is considered fit subject for commutation but his/her
age for the purpose of commutation, i.e. the age next birthday should be taken to be _____
(In words) years more than his/her actual age.

Place :**Date :**

**(Signature and Designation of
Examining Medical Officer)**

UDAY CHANDRA, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./385/18]